

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण को, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है।

वित्तीय विवरणियाँ बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देश भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं अन्य उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धति के अनुरूप भी हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के संबंध में सांविधिक प्रावधानों एवं संबंधित विदेश में प्रचलित परिपाटी का अनुपालन किया जाता है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित है कि वह वित्तीय विवरण की तिथि को आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि हेतु रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि पर विचार करते हुए प्राक्कलन करे एवं अनुमान लगाए। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं समुचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलन में किसी संशोधन की, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, चालू एवं भावी अवधि हेतु भविष्यप्रभावी रूप से पहचान की जाती है।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

(i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'क' की अपेक्षा के अनुसार निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :

- (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- (सी) शेयर,
- (डी) डिबेंचर एवं बॉण्ड,
- (ई) अनुषंगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम तथा
- (एफ) अन्य

(ii) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है,

- (ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- (बी) विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- (सी) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

3.2 वर्गीकरण का आधार

- (ए) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (बी) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, के व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The financial statements are prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.

The financial statements are prepared in accordance with requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect to income recognition, asset classification, provisioning and other related matters and Accounting Standards and other pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively unless otherwise stated.

3. Investments:

3.1 Classification

(i) In conformity with the requirements of Form A of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, Investments are classified into the following six groups :

- (a) Government Securities,
- (b) Other Approved Securities,
- (c) Shares,
- (d) Debentures & Bonds,
- (e) Subsidiaries/ Joint Ventures and
- (f) Others

(ii) The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

- (a) Held to Maturity (HTM)
- (b) Available for Sale (AFS)
- (c) Held for Trading (HFT)

3.2 Basis of classification

- (a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- (b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

- (सी) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (डी) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है।
- (ई) आनुषांगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी संस्था में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.3 मूल्यांकन

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं;
- (ए) (i) 'एचटीएम' में धारित प्रतिभूति- अर्जन लागत पर अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- मूल्यहास, अस्थायी से इतर, यदि कोई हो, ऐसे निवेश के मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया जाता है।
- (बी) 'एएफएस' एवं 'एचएफटी' श्रेणियों में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिपवार किया जाता है। वृद्धि/हास को प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी में जोड़ा जाता है और प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार लाभ-हानि खाते में निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है जबकि निवल वृद्धि को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।
- (ii) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामलों में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।
- (iii) निवेशों की प्राप्ति की लागत
- सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
 - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।
- (iv) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के मामले में समतुल्य राशि (कर का निवल और सांविधिक आरक्षितियों के अंतरण का निवल) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।
- (v) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएमडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशन/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएमडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल दरों पर किया जाता है।

3.4 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के कमतर मूल्य पर निकाला जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

- (c) Investments which are not classified in the above two categories are classified as Available for sale.
- (d) An investment is classified as Held to Maturity or Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- (e) Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are classified as Held to Maturity.

3.3 Valuation

- (i) As per RBI guidelines, the following principles are adopted for the purpose of valuation;
- (a) (i) Securities held in 'HTM' - at acquisition cost
The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity,
- (ii) Investments in Regional Rural Banks, Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.
- Diminution, other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.
- (b) Securities held in 'AFS' and 'HFT' categories are valued scrip-wise. Appreciation/Depreciation is aggregated for each class of securities and net depreciation as per applicable norms is recognized in the Profit and Loss Account, whereas net appreciation is ignored.
- (ii) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of assets classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (iii) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fee received in case of securities subscribed and
 - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (iv) Profit/Loss on sale of investments in any category is recognized in the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.
- (v) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per the norms laid down by the Reserve Bank of India.

3.4 Transfer of Securities between categories

The transfer of securities between categories are carried out at the lower of acquisition cost / book value /market value as on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.5 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।

● **हेज स्वैप**

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

● **ट्रेडिंग स्वैप**

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिन्हित किया जाता है।

4. अग्रिम

(i) भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानिगत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं में किए गए अग्रिमों के संबंध में इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों और जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं उनके स्थानीय कानूनों, जो अधिक कड़ा हो, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) प्रकटित अग्रिम अनर्जक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान और संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के बदले किए गए प्रावधानों का निवल होता है। संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य के ह्रास के प्रावधान को भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएँ एवं प्रावधान" के तहत शामिल किया जाता है।

5. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन

5.1 विदेशी मुद्रा वाले लेनदेनो का लेखा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 11 के अनुसार किया जाता है।

5.2 बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को एएस 11 में यथानिर्धारित (क) इंटीग्रल परिचालनों और (ख) नॉन इंटीग्रल परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विदेशी शाखाओं को नॉन इंटीग्रल परिचालनों के रूप में माना जाता है और विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों और प्रतिनिधि कार्यालयों को इंटीग्रल परिचालन माना जाता है।

5.3 नॉन इंटीग्रल परिचालनों के संबंध में ट्रांसलेशन:

(क) मौद्रिक और गैर मौद्रिक आस्तियों दोनों के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर आंका जाता है।

(ख) राजस्व मदों को संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर आंका जाता है।

(ग) सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व' में रखा जाता है।

3.5 As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

● **Hedge Swaps**

Interest rate swap which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

● **Trading Swaps**

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

4. Advances:

(i) Advances in India are classified as Standard, Sub Standard, Doubtful or Loss Assets and provision for advances are made as per Prudential Norms of the RBI. In respect of advances made in overseas branches, the same are classified in accordance with prudential norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

(ii) Advances disclosed are net of provisions made for Non Performing Advances and provisions in lieu of diminution in the fair value of Restructured Advances. The provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.

(iii) The provision made for standard advances in terms of RBI guidelines is included in "Other Liabilities and Provisions".

5. Foreign Currency transactions:

5.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11 issued by ICAI .

5.2 The foreign currency operations of the bank are classified as (a) integral operations and (b) non integral operations as stipulated in AS 11. Overseas branches are treated as non Integral operations and domestic operations in foreign exchange and representative offices are treated as integral operation.

5.3 Translation in respect of Non Integral operations;

(a) Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities are translated at the end of each quarter at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

(b) Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

(c) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.

5.4 इंटीग्रल परिचालनों के संबंध में ट्रांसलेशन

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमा राशियों सहित) और बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाता है।
फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनिमय करार के पुनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- (iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

6. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- (i) फ्रीहोल्ड भूमि और लीज होल्ड भूमि सहित परिसरों को उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है। जब कभी कतिपय आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो बैंक इस संबंध में भारिबैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों को अपनाता है और लेखा मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन में किसी प्रकार की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर प्रभारित अतिरिक्त मूल्यहास को सीधे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व और अन्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है।
- (ii) निर्माणाधीन परिसरों को पृथक शीर्ष "निर्माणाधीन परिसर" के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों को "अन्य आस्तियाँ" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (iii) जहां भूमि की पृथक लागत उपलब्ध नहीं है वहां भूमि और भवन की संमिश्र लागत पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान घटते शेष पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया जाता है जैसा कि प्रबंधन द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 और आगे हेतु निर्णय लिया गया है।

5.4 Translation in respect of integral operations;

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.
- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rates prevailing as on the date of transactions.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

6. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold land and leasehold land are stated at their revalued amount and other Fixed Assets are stated at their historical cost. Whenever certain Assets are revalued, the Bank adopts the guidelines issued by RBI and compliances of Accounting Standards issued in this regard. Any upward revision on such revaluation is credited to Revaluation Reserve. The amount equivalent to additional depreciation on revalued assets is directly transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserve.
- (ii) Premises under construction is shown under a separate heading "Premises under Construction". Advances to contractors are shown under the head "Other Assets".
- (iii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iv) Depreciation on Fixed Assets including revalued assets is provided as per the following rates on diminishing balance method as decided by the Management from the Financial year 2014-15 and onwards.

क्रम संख्या Sr. No.	आस्तियों की श्रेणी / CATEGORY OF ASSET	मूल्यहास दर [%] DEPRECIATION RATE [%]
1	भवन एवं परिसर//Building and Premises	5.00
2	सामान्य फर्नीचर मदें यथा मेज, कुर्सी, अलमारी, केबिनेट, स्ट्रॉंग रूम दरवाजे इत्यादि (सुरक्षित जमा लाकर से इतर) General Furniture items viz., Table, Chair, Almirah, Cabinet, Strong room doors etc. (other than Safe Deposit Lockers).	18.10
3	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, पंखे, लाइट, एयरकंडीशनिंग मशीनरी- रूम एयरकंडीशनर सहित Electrical Installation, Fan, Light, Air-conditioning Machinery including- Room Air-conditioners etc.	13.91
4	फ्रेंकिंग मशीन, कार्यालय मशीनरी, भारोत्तोलन मशीन, टाइपराइटर, एडिंग मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन और अन्य कार्यालयीन उपकरण Franking machine, office machinery, weighing machine, typewriter, adding machine, Duplicating Machine & other office equipments.	13.91
5	सेफ डिपोजिट लाकर/Safe Deposit Lockers	13.91
6	मोटरकार//Motor Car	25.89
7	साइकिल//Cycle	20.00
8	मोटर वैन(कैश वैन)/Motor Van (Cash Van)	30.00

- (v) कम्प्यूटरों, डाटा प्रोसेसिंग मशीनों एलपीएम पर अवक्षय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है जिससे तीन वर्षों में आस्ति का मूल्य अवलिखित किया जा सके।
- (vi) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम (पुनर्मूल्यांकित राशि सहित) को लीज की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।
- (vii) जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहां लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि के दौरान लागत अथवा अवलिखित मूल्य पर परिशोधित किया जाता है।
- (viii) ₹5000/- तक के पूंजीगत व्यय सीधे "खर्च खाता - मरम्मत एवं रखरखाव" में नामे लिखे जाते हैं।
- (ix) वर्ष के दौरान क्रय की गई/बेची गई/हटाई गई आस्तियों पर यथानुपात आधार पर अवक्षय का प्रावधान किया जाता है।
- (x) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।
- (v) On Computers, Data Processing Machines, ALPMs, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years as per RBI guidelines.
- (vi) Premium on Leasehold Land (including revalued amount) is amortized over the period of the lease on Straight Line Method.
- (vii) Premium on Leasehold Land is amortized over the period of the lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (viii) The Capital Expenditure up to ₹5000/- is debited directly to "Charges Account - Repairs & Maintenance".
- (ix) Pro-rata depreciation is provided on the assets purchased / sold / discarded during the year.
- (x) Depreciation on Fixed Assets of Foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

7. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाता है।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत ₹10 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम दस वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।
- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

8. कर्मचारी लाभ

8.1 बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण तिमाही और वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधियन संबंध बैंक की नीति में लिखित विधियों का पालन करते हुए है और नीचे उल्लिखित नीतियों के अनुसार परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए चुने गए विभिन्न बीमांकिक पूर्वानुमान द्वारा किया जाता है।

8.2.1 ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 /सेवा पंचाटों/ सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक

7. Intangible Assets (Computer Software):

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets and is amortised along with the computer hardware. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than ₹10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

8. Employee Benefits:

8.1 The Bank has applied Accounting Standard 15 (Revised) - Employees Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

8.2 Long term Employees Benefits:

Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the quarter as well as in year-end by using various Actuarial Assumptions chosen following the modalities documented in the Bank's Policy on Funding Superannuation Schemes and the Projected Unit Credit method as per the policies mentioned herein below:

8.2.1 Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained

इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

8.2.2 पेंशन (एबीईपीआर)

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीईपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29/09/1995 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशनर के लिखित अनुरोध पर मूल पेंशन के अधिकतम 1/3 को परिवर्तित करने का भी प्रावधान है। परिवर्तित मूल पेंशन 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुनः चालू की जाती है। एबीईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पी.एफ. की रैंकिंग हेतु शामिल कर्मचारियों के वेतन के 10% के सांविधिक मासिक अंशदान के अतिरिक्त बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

8.2.2 Pension (ABEPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 (ABEPR-1995) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank's Service during the period from 29.09.1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. There is also provision for commutation of pension to a pensioner, against written request, to the maximum extent of 1/3rd of Basic Pension. The commuted basic pension is restored after completion of 15 years of commutation. Employees covered under ABEPR - 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary, in addition to the statutory monthly contribution of 10% of Pay of the covered employees, ranking for PF.

8.2.3 अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौतों/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

8.2.3 Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is debited/ charged to the Profit and Loss Account.

8.2.4 अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

8.2.4 Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is debited/ charged to the Profit and Loss Account.

8.3 भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है तथा लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

8.3 In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to the Profit & Loss account.

8.4 दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में शामिल हैं।

8.5 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

9. राजस्व अभिज्ञान

- आय-व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय आधार पर किया जाता है जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो।
- अनुपयोज्य आस्तियों/निवेशों के मामले में आय, ब्याज और अन्य आय की वसूली में अनिश्चितता को देखते हुए इन्हें वसूली की मात्रा तक अभिज्ञात किया जाता है।
- अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली के संबंध में संदिग्ध/हानिगत आस्तियों के मामले में पहले मूलधन और फिर ब्याज को विनियोजित किया जाएगा जबकि अवमानक आस्तियों के मामले में पहले ब्याज और फिर मूलधन को विनियोजित किया जाएगा।
- आय कर और ब्याज कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय को उस वर्ष हिसाब में लिया जाता है जिसमें इसे प्राप्त/समायोजित किया जाता है।

10. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

11. प्रति शेयर अर्जन

बैंक प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार करता है।

11.1 प्रति शेयर बेसिक अर्जन की गणना वर्ष हेतु इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

11.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन संभावित डाइल्यूशन को प्रतिबिंबित करता है जो उस स्थिति में हो सकती है यदि इक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियां अथवा अन्य संविदाओं का वर्ष के दौरान प्रयोग किया जाता है अथवा संपरिवर्तित किया जाता है। प्रति शेयर मूल डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

12. आय पर कर

आयकर व्यय चालू कर और आस्थगित कर व्यय की राशि का सकल योग है।

- कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों हेतु लेखा", समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर

8.4 In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.

8.5 Short term Employees Benefits

Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

9. Revenue Recognition:

- Income and Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- In view of uncertainty of collection of income, Interest and Other Income in cases of Non Performing Assets/ Investments are recognized to the extent realized.
- Recoveries from Non-Performing Assets (NPAs), in case of Doubtful/ Loss Assets is appropriated first against the Principal due and then interest, whereas in case of Substandard Assets, such recovery is appropriated first against the interest and then against the Principal.
- Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year in which it is received/ adjusted.

10. Lease:

Rentals received by the Bank are recognized in the Profit and Loss Account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

11. Earnings Per Share:

The Bank reports Basic and Diluted Earnings per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20 "Earnings per Share" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

11.1 Basic earnings per Share are computed by dividing the net profit after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

11.2 Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted Earnings per Share are computed using the weighted average number of equity shares and diluted potential equity shares outstanding at year end.

12. Taxes on Income :

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense.

- Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India,

आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं।

- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि बैंक आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

13. नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर धन शामिल है।

14. आस्तियों में ह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर 'इम्पेयरमेंट लॉसेस' (यदि कोई हो) को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 'आस्तियों का इम्पेयरमेंट' के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभाषित किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ' के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब

- ए) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है
- बी) यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और
- सी) जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया जाता;

- ए) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं। अथवा,

- बी) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :

- i. यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा
- ii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता है।

- (iii) आकस्मिक देयताओं का नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।

- (iv) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञात हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।

Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

13. Cash and Cash equivalents:

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATMs and balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

14. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to the Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

15. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

- (i) In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when

- a. it has a present obligation as a result of a past event;
- b. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
- c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

- (ii) No provision is recognized for:

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

- b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because;

- i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

- ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

- (iii) Contingent Liabilities are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- (iv) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची - 18 लेखा टिप्पणियाँ / SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी अनुपात / Capital Ratio

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18
i) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	9.65	5.57
ii) टियर-1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	9.68	6.69
iii) टियर-2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.83	2.00
iv) कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (%) / Total Capital ratio (CRAR) (%)	12.51	8.69
v) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता/ Percentage of the shareholding of the Government of India	85.82	64.78
vi) उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of Equity Capital raised		
i. भारत सरकार को अधिमानी आबंटन/Preferential allotment to GOI	6344.00	418.00*
ii. एलआईसीआई को अधिमानी आबंटन /Preferential allotment to LIC	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii. ऑलबैंक-ईएसपीएस/AIBank- ESPS	शून्य/NIL	315.22
कुल/Total	6344.00	733.22
	(प्रीमियम सहित) / (including premium)	(प्रीमियम सहित) / (including premium)
vii) उगाही गई अतिरिक्त टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से/ Amount of additional Tier 1 capital raised; of which	शून्य/NIL	1200.00
परपेचुअल नान कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (पीएनसीपीएस) / Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	शून्य/NIL	शून्य/NIL
परपेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीडीआई-एटी 1) / Perpetual Debt Instruments (PDI-AT1):	शून्य/NIL	1200.00
viii) उगाही गई अतिरिक्त टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से/ Amount of Tier 2 capital raised; of which	शून्य/NIL	शून्य/NIL
डेबिट पूंजी लिखत/Debt capital instrument:	शून्य/NIL	शून्य/NIL
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत (परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (पीसीपीएस) / (रिडीमेबल नान-क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (आरएनसीपीएस) / (रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर (आरसीपीएस)		
Preference Share Capital Instruments: (Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)	शून्य/NIL	शून्य/NIL

* बैंक को 21.02.2019 को पूंजी अंतः प्रवाह के रूप में भारत सरकार से ₹6896 करोड़ (रुपए छह हजार आठ सौ छियानबे करोड़) की राशि प्राप्त हुई। बैंक इसका 31.03.2019 को यथास्थिति शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के रूप में रखरखाव कर रहा है। बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त से ₹6896.00 करोड़ (रुपए छह हजार आठ सौ छियानबे करोड़) की पूंजी अंतःप्रवाह की संपूर्ण राशि की गणना 31.03.2019 को यथास्थिति सीईटी 1 पूंजी के रूप में की है। शेयरों का आबंटन लेखावर्ष की समाप्ति के बाद 24.04.2019 को किया गया है।

*The capital infusion fund of ₹6896.00 crore (Rupees Six thousands Eight Hundred Ninety Six crore only) was received by the Bank from GOI on 21.02.2019. The Bank is maintaining the same as "Share Application Money Pending Allotment" as on 31.03.2019. The Bank has reckoned the entire amount of capital infusion fund of ₹6896.00 crore (Rupees six thousand eight hundred ninety six crore) received from Government of India as CET 1 capital as on 31.03.2019. The Shares have been allotted after the close of the accounting year on 24.04.2019.

2. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(1) निवेशों के मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(ए/अ)भारत में/In India	80995.60	68738.24
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	321.86	297.88
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation		
(ए/अ)भारत में/In India	1759.54	1322.09
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii) निवेशों का निवल मूल्य/Net Value of Investments		
(ए/अ)भारत में/In India	79236.06	67416.14
(बी/ब)भारत से बाहर/Outside India	321.86	297.88
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथ शेष/Opening balance	1322.09	575.89
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान/Add: Provisions made during the year	1031.80	1155.21
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान Less: Write off/ write back of excess provision during the year	594.35	409.01
(iv) घटाएं: प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग से अंतरित राशि Less amount transferred on account of sale to ARCs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(v) इति शेष/Closing balance	1759.54	1322.09

3. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में) / Repo Transactions (in face value terms):

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average Outstanding during the year	31.03.2019 को यथास्थिति बकाया Outstanding As on 31.03.2019		
	Previous Year	Minimum Outstanding during the year	Previous Year	Maximum outstanding during the year				
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां/ Securities sold under repo	300.00	200.00	8000.00	7000.00	605.00	1361.19	8000.00	5150.00
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Govt Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate Debt Securities								
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां/ Securities purchased under reverse repo	100.00	82.00	19750.00	11400.00	1269.31	1341.15	1500.00	1200.00
(i) सरकारी प्रतिभूतियां/Govt. Securities	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate Debt Securities								

4. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

i) दिनांक 31.3.2019 को यथास्थिति गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन / Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2019

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं. जारीकर्ता SI No Issuer	राशि Amount		निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement		“बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities		“अन रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities		“अन लिस्टेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities	
	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18	31.03.19	31.03.18
(1)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
(i) पीएसयू / PSUs	14088.08	2496.10	13871.72	2278.85	(5)	0.00	13971.73	1601.34	13871.72	2278.85
(ii) वित्तीय संस्थाएँ / FIs	3070.26	675.25	1527.68	106.65	0.00	49.03	498.22	160.88	380.97	106.65
(iii) बैंक / Banks	3653.47	47.94	3651.71	45.50	33.54	5.69	3648.47	36.76	3611.71	10.00
(iv) प्राइवेट कॉर्पोरेट/ Private Corporate	3805.63	4080.16	3395.87	3571.32	5.00	20.00	3587.37	4043.16	3099.40	3309.85
(v) अनुषंगी संस्थाएँ / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	156.27	156.27	156.27	156.27	209.26	0.00	156.27	156.27	156.27	156.27
(vi) अन्य/Others	3.57	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	5.33	3.57	5.33
उपकुल/ Sub-total	24777.28	7461.05	22603.25	6158.59	247.80	74.72	21865.63	6003.74	21123.64	5866.95
(vii) Provision held towards Depreciation	1368.53	1048.28								
कुल /Total	23408.75	6412.77								

नोट:/Note:

- कालम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर एकांतिक नहीं है/
Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

i) शेयर / Shares	1318.80
ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड / Debentures and Bonds	19190.01
iii) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries /Joint Ventures	156.27
iv) अन्य / Others	4112.20
कुल /Total	24777.28

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश/Non performing Non-SLR investments

गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश में संचलन नीचे दिये गए हैं:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

The movement in Non performing Non SLR Investments is given below:

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y.	वित्तीय वर्ष/F.Y.
	2018-19	2017-18
अथ-शेष / Opening balance	709.24	98.87
वर्ष के दौरान परिवर्धन 1 अप्रैल से / Additions during the year since 1 st April	120.37	610.69
उक्त अविध के दौरान कमी / Reductions during the above period	189.11	0.32
इति-शेष / Closing balance	640.50	709.24
धारित कुल प्रावधान / Total provisions held	607.85	406.52

iii) **एच टी एम श्रेणी को/से विक्रय एवं अंतरण:** वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को विक्रय वर्ष के प्रारम्भ में बही मूल्य के 5% की सीमा के अंदर रहा। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा में कमी के फलस्वरूप बैंक ने एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों की बिक्री या अंतरण नहीं किया है। बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के दौरान एचटीएम से एएफएस में ₹1857.54 करोड़ के बहीमूल्य की प्रतिभूतियां एकबारगी अंतरित की है जिसकी अनुमति भारिबैं के दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 द्वारा दी गई है।

iv) भारिबैं परिपत्र संदर्भ सं. आरबीआई/2017-18/147 दिनांक 02.04.2018 और परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी.113/21.04/048/2017-18 दिनांक 15 जून, 2018 के आधार पर बैंक ने जून 2018 को समाप्त तिमाहियों हेतु एएफएस तथा एचएफटी में धारित निवेशों पर मार्केट टू मार्केट(एमटीएम) हानियों हेतु विस्तारित प्रावधान के विकल्प का प्रयोग किया है। इन प्रत्येक तिमाहियों हेतु प्रावधान को तिमाही के बाद आरंभ होने वाली उन चार तिमाहियों में समान रूप से विस्तारित किया जा सकता है जिनमें हानि हुई है। जून 2018 को समाप्त तिमाहियों हेतु निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यहास हेतु प्रावधान ₹2187.59 करोड़(स्प्रेडिंग रहित) और ₹1686.39 करोड़ (स्प्रेडिंग सहित) था।

5. रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन:

बैंक ने परिप सं. आरबीआई/2016-17/एफएमडीओ, एमएओजी सं. 116/01.01.001/2016-17 दिनांक 10.11.2016 के तहत आरबीआई के साथ मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ सहित) के लेखांकन हेतु भारिबैं द्वारा निर्धारित समरूप लेखा प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन को तय शर्तों पर पुर्नखरीद के करार सहित संपार्श्विकृत उधार/ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां निवेशों में शामिल नहीं की जाती हैं। लागतों और राजस्व का लेखा यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है।

6. डेरिवेटिव / Derivatives :

6.1. फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

विवरण / Particulars*	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F. Y. 2017-18
(i) स्वैप करारों का नोशनल मूलधन / Notional principal of swap agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(ii) अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(v) स्वैप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	शून्य /NIL	शून्य /NIL

* घरेलू निवेश रूपए में / Domestic investment in Rupees

6.2. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव : शून्य

(विगत वर्ष : शून्य)

6.3. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

iii) **Sale & Transfer to/from HTM category:** All sales and transfers to/from HTM category during the year are within the limit of 5% of book value at the beginning of the year. The Bank has not made any sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent upon reduction of ceiling on SLR Securities under HTM category. The Bank has one time shifted the securities having book value of ₹1857.54 crore from HTM to AFS category during the first quarter of FY 2018-19 with the approval of Board of Directors which is permitted by RBI in terms of Master Circular No.RBI/2015-16/97 DBR No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

iv) **On the basis of RBI Circular** ref, No. RBI/2017-18/147 dated 02.04.2018 & Circular No. DBR No. BP. BC. 113/21.04/048/2017-18 dated June 15, 2018, the Bank has utilized the option of spreading provisioning for mark to market (MTM) losses on investment held in AFS & HFT for the quarters ended June 2018. The provisioning for each of these quarters may be spread equally over up to four quarters commencing with the quarter in which the loss is incurred. The provision for depreciation of the investment portfolio for the quarters ended June 2018 was Rs 2187.59 Cr (without spreading) & Rs 1686.39 Cr (with spreading)

5. Repo/Reverse Repo transactions:

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and reverse repo transaction (including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no.RBI/2016-17/FMDO,MAOG.No.116/01.01.001/2016-17 dated 10.11.2016).Repo and Reverse Repo Transaction are treated as Collateralised Borrowing/Lending Operation with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and securities purchased under reverse repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

6.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: NIL
(Previous year: NIL)

6.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

Qualitative Disclosure:

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officers with defined responsibilities and back up roles.

बैंक की ट्रेजरी नीति एवं डेरिवेटिव नीति में वित्तीय डेरिवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजीशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित है। नीति में क्रॉस करेंसी प्रोप्राइटी ट्रेडिंग पोजीशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैंक टू बैंक कवरिंग के अध्वधीन डेरिवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है।

फ्रंट ऑफिस पोजीशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैंक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोद्दिष्ट स्वैप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वैप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वैप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वैप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्ष पार्टियाँ बैंक एवं कॉरपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडरल एवं एफआईएमएडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

The Treasury Policy & Derivative policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval processes as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customers subject to back to back covering by the Bank.

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and Modified Durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Assets and Liability Management committee. The Back office settles all the deals with counter parties.

Interest Rate Swaps which hedge interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at lower of cost or market value in the financial statements. Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

* परिमाणत्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures :

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.	
		2018-19		2017-18	
SI No	Particulars	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि) / Derivatives (Notional Principal Amount)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग के लिए / a) For hedging	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii)	मार्केट टू मार्केट पोजीशन (1) / Marked to Market Positions (1)				
	ए) आस्ति (+) / a) Asset (+)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) देयता / b) Liability (-)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iii)	ऋण एक्सपोजर (2) / Credit Exposure (2)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01)				
	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर / a) on hedging derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर / b) on trading derivatives	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	ए) हेजिंग पर / a) on hedging	अधिकतम/Maximum	न्यूनतम/Minimum	शून्य/NIL	शून्य/NIL
		शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	बी) ट्रेडिंग पर / b) on trading	अधिकतम/Maximum	न्यूनतम/Minimum	शून्य/NIL	शून्य/NIL
		शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

* घरेलू निवेश रूप में / Domestic investment in Rupees

7. आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

7.1 अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए), निवल अनर्जक आस्तियों तथा प्रावधानों के संचलन का विवरण नीचे दिया गया है :

The details of movement of Gross Non performing assets (NPAs), Net NPAs and provisions are given below:

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	5.22	8.04
(ii) एनपीए का संचलन (सकल) / Movement of NPAs (Gross)		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	26562.79	20687.83
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	10726.32	12903.28
(सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	8584.33	7028.32
(डी) इति शेष / (d) Closing balance	28704.78	26562.79
(iii) निवल एनपीए का संचलन / Movement of Net NPAs		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	12229.13	13433.51
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	10726.32	12903.28
(सी) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	15536.14	14107.66
(डी) इति शेष / (d) Closing balance	7419.31	12229.13
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(ए) अथ शेष / (a) Opening balance	14308.11	7176.83
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / (b) Provisions made during the year	11761.13	10688.45
(सी) सीसीपीबी एवं अन्य से प्राप्त प्रावधान (c) Provisions received from CCPB & Others	0.00	0.00
(डी) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक / (d) Write-off / write-back of excess provisions	4807.79	3557.17
(ई) इति शेष (e) Closing balance	21261.45	14308.11

विशेष अनुलग्नक
यथास्थिति 31.03.2019 तक के पुनर्गठित खातों का प्रकटन
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पुनर्गठन का प्रकार आसति वर्गीकरण विवरण	सीडीयार तंत्र के अंतर्गत					एस्पआई ऋण पुनर्गठन तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल									
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल					
1	वित्तवर्ष 18-19 के 1 अप्रैल को यथास्थिति पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)* उधारकर्ताओं की सं. बकाया राशि उस पर प्राक्धान	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	7	8	0	0	0	0	8	945.02	0.00	0.00	0.00	945.02
2	वित्तवर्ष 18-19 के दौरान नयी पुनर्गठित उधारकर्ताओं की सं. बकाया राशि उस पर प्राक्धान	34.63	0.00	0.00	0.00	34.63	0	0	0	1.06	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	66.64	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
3	वित्तवर्ष 18-19 के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्मयन उधारकर्ताओं की सं. बकाया राशि उस पर प्राक्धान	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0	-2	-65.28	0.00	0.00	0.00	-172.44
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जिस कारण वित्तवर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरण एच/अथवा अतिरिक्त भार समाप्त हो गया है एवं इसलिए आगामी वित्तवर्ष 19-20 के प्रारंभ में इसे पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है उधारकर्ताओं की सं. बकाया राशि उस पर प्राक्धान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	262.50	0.00	0.00	0.00	262.50
5	वित्तवर्ष 18-19 के दौरान पुनर्गठित खातों का अवनयन उधारकर्ताओं की सं. बकाया राशि उस पर प्राक्धान	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	-3	0	0	0	-3	-4	0	0	0	0	-4	-283.93	0.00	0.00	0.00	-391.09
6	वित्तवर्ष 18-19 के दौरान पुनर्गठित खातों का अपलोखन उधारकर्ताओं की सं. बकाया राशि उस पर प्राक्धान	-107.16	0.00	0.00	0.00	-107.16	0	0	0	0	-1.94	0.00	0.00	0.00	-1.94	-6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.91	73.27	90.82	0.00	0.00	164.09
7	वित्तवर्ष 18-19 के 31 मार्च को यथास्थिति पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े) उधारकर्ताओं की सं. बकाया राशि उस पर प्राक्धान	12.39	0.00	0.00	0.00	12.39	0	0	0	0.02	6.19	0.00	0.00	0.00	6.19	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60	346.19	495.50	0.00	0.00	841.69
		22.24	0.00	0.00	0.00	22.24	7.05	0.00	0.00	7.05	24.42	0.00	0.00	0.00	24.42	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

* मानक पुनर्गठित अग्रिमों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्चतर प्रावधान अथवा जोखिम भार (यदि प्रयोज्य हो) को आकर्षित नहीं करता।
क्रम संख्या 2 में दर्शाई गई राशि में वृद्धि और नए/मौजूदा पुनर्गठित खातों में अतिरिक्त संस्वीकृति शामिल है।
क्रम संख्या 6 में दर्शाई गई राशि में मौजूदा पुनर्गठित खातों में बिक्री/वसूली से प्राप्त राशि शामिल है।

Special Annexure
Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2019
(₹ in Crore)

SL NO.	Type of Restructuring Asset Classification Details	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total			
		STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	STD	SST	DF	LOSS	TOTAL	
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY 18-19 (Opening Fig)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8	
	No. of Borrowers																
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00	44.41	900.61	0.00	0.00	0.00	945.02	0.00	
	Provision there on	34.63	0.00	0.00	0.00	34.63	1.06	0.00	0.00	1.06	30.95	0.00	0.00	0.00	66.64	0.00	
2	Fresh Restructuring during the FY 2018-19	0	0	0	0	0	724	0	0	724	0.00	0	0	0	724.00	0	
	No. of Borrowers																
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45	0.00	0.00	0.00	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45	0.00	
	Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	0.00	
3	Upgradations to restructured STD Catg during the FY 2018-19	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	-2	0	
	No. of Borrowers																
	Amt O/s	-107.16	0.00	0.00	0.00	-107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.28	0.00	0.00	0.00	-172.44	0.00	
	Provision there on	-4.97	0.00	0.00	0.00	-4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00	0.00	0.00	-6.57	0.00	
4	Restructured STD advance which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured STD advance at the beginning of the next FY 19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	
	No. of Borrowers																
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	
5	Downgradations of restructuring accounts during the FY 2018-19	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	-3	0	0	0	-4	0	
	No. of Borrowers																
	Amt O/s	-107.16	0.00	0.00	0.00	-107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-283.93	0.00	0.00	0.00	-391.09	0.00	
	Provision there on	-4.97	0.00	0.00	0.00	-4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.94	0.00	0.00	0.00	-6.91	0.00	
6	Write-Offs of Restructured accounts during the FY 18-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	No. of Borrowers																
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	17.55	73.27	0.00	0.00	0.00	90.82	0.00	
	Provision there on	12.39	0.00	0.00	0.00	12.39	0.02	0.00	0.00	0.02	6.19	0.00	0.00	0.00	18.60	0.00	
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY 18-19 (Closing Figures)	0	0	0	0	0	725	0	0	725	2	0	0	0	727	0	
	No. of Borrowers																
	Amt O/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.31	0.00	0.00	149.31	346.19	0.00	0.00	0.00	495.50	0.00	
	Provision there on	22.24	0.00	0.00	0.00	22.24	7.05	0.00	0.00	7.05	24.42	0.00	0.00	0.00	53.71	0.00	

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).
Figures under Sr. No.2 represents balance increase & fresh/additional sanction in existing restructured accounts.
Figures under Sr. No.6 represents reduction from existing restructured accounts by way of sale/recovery.

7.3. ए. मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना संबंधी प्रकटीकरण/

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

7.3. A. Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

अवधि Period	लचीली संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की सं. / No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि / Amount of loans taken up for flexible structuring			लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण का भारित औसत अवधि निवेश / Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना लागू करने के बाद After applying flexible structuring	
पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	1	शून्य/NIL	63.07	6.92	13.66	
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 18 से मार्च 19) Current Financial year (From April '18 to March'19)	शून्य/NIL	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	

बी. रणनीतिपरक ऋण पुनर्संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण / B. Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एसडीआर का आव्हान किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount of outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण लंबित है Amount of outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांत किया गया है Amount of outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place.	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
20	शून्य/NIL	2354.22	शून्य/NIL	972.23	शून्य/NIL	1381.99

नोट: दवाबग्रस्त आरिस्त-संशोधित ढांचा के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार रणनीतिपरक ऋण पुनर्संरचना योजना तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets- Revised Framework dated 12.02.2018, Strategic Debt Restructuring Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

सी. एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण/ C. Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या जिन्हें बैंक ने प्रभावित करने का निर्णय लिया है No of accounts where banks have decided to effect	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण/इक्विटी शेयर की गिरवी का लागू किया जाना लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity /invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ इक्विटी पर ऋण का रूपांतरण/ इक्विटी शेयर की गिरवी को लागू किया गया है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity /invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि उन खातों के संबंध में जहाँ नए शेयरों के निर्गम अथवा प्रमोटर की इक्विटी को बेव कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना की गई है। Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters' equity.	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
8	शून्य/NIL	620.02	शून्य/NIL	376.75	शून्य/NIL	243.27	शून्य/NIL	शून्य/NIL

नोट: दवाबग्रस्त आरिस्त-संशोधित ढांचा के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets- Revised Framework dated 12.02.2018, Change in Ownership outside SDR Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

डी. कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

D. Disclosures on change in Ownership of Projects under implementation

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तिथि को यथास्थिति बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA	अप्रयोज्य/NA

नोट: दबावग्रस्त आस्ति-संशोधित ऋण के संकल्प संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश दिनांक 12.02.2018 के अनुसार एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अतः स्टैंड स्टिल खंड प्रयोज्य नहीं है।

Note: In terms of RBI guidelines on Resolution of Stressed Assets-Revised Framework dated 12.02.2018, Change in Ownership outside SDR Scheme stands withdrawn with immediate effect. Hence, stand still clause is not applicable.

ई. 31.03.2019 को यथास्थिति दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना की योजना (एस4ए) संबंधी प्रकटीकरण

E. Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2019.

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of accounts where S4A has been applied	सकल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	संदर्भित तिथि को बकाया राशि Amount outstanding as on reference date		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में / In Part A	भाग ख में / In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	352.88	443.85	565.91	326.35
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	237.60	206.44	182.32	179.46

7.4 आस्ति पुनर्गठन हेतु प्रतिभूतीकरण / पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

ए/आ. विक्रय का विवरण/Details of Sales

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

मद / Items	वित्तीय वर्ष/F.Y.	
	2018-19	2017-18
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	42	217
ii) एससी/आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	62.54	114.63
iii) कुल प्रतिफल/Aggregate consideration	116.16	652.18
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	शून्य/NIL	शून्य/NIL
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/(हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	53.62	537.55

बी/ब. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बहीमूल्य का विवरण /Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण Particulars	अंडरलाइंग के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		अंडरलाइंग के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total कुल	
	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1705.75	1909.19	शून्य/NIL	शून्य/NIL	1705.75	1909.19

सी. प्रतिभूति रसीदों(एसआर) में निवेश का विवरण

C. Details of Investment in Security Receipts (SRs)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	विगत 5 वर्षों के अंदर जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से पहले किंतु 8 वर्षों के अंदर जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्षों से अधिक पहले जारी एसआर SRs issued more than 8 years ago
(i) अंडरलाइंग के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPA s sold by the Bank as underlying	1196.31	439.52	69.92
(i) के सापेक्ष धारित प्रावधान Provision held against(i)	589.86	—	—
(ii) अंडरलाइंग के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non banking financial companies as underlying	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान Provision held against(ii)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल (i)+(ii) /Total (i)+(ii)	1196.31	439.52	69.92

7.5 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण

Details of non-performing financial assets purchased/ sold from/to Banks

ए. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियां/

A. Non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते/ (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या/ (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) सकल बकाया/ (b) Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

बी. बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण/

B. Details of non-performing financial assets sold to Banks:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. F.Y. 2017-18
1. बेचे गए खातों की संख्या /No of accounts sold	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. कुल बकाया /Aggregate Outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल /Aggregate consideration received	शून्य/NIL	शून्य/NIL

**7.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान /
Provisions on Standard Asset**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (संचयी) / Provisions towards Standard Assets (Cumulative)	584.40	686.40

7.7 2018-19 के लिए आरबीआई की जोखिम निर्धारण रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में एनपीए हेतु रिपोर्ट की गई तथा आस्ति वर्गीकरण में विचलन नीचे दिया गया है:

7.7 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs in compliance with Risk Assessment Report (RAR) of RBI for the 2018-19 is reported as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. SI No.	विवरण/ Particulars	राशि/ Amount
1	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2018* को यथास्थिति सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2018* as reported by the Bank	26562.79
2	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	27691.49
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs(2-1)	1128.70
4	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	12229.10
5	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	12938.30
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	709.20
7	बैंक द्वारा यथारिपोर्टित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति एनपीए हेतु प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the Bank	14308.10
8	भारिबैं द्वारा यथानिर्धारित 31 मार्च, 2018 को यथास्थिति एनपीए हेतु प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	15330.50
9	प्रावधान में विचलन (8-7) Divergence in Provisioning (8-7)	1022.40
10	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात निवल लाभ Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	(4674.36)
11	प्रावधान में विचलन को हिसाब में लेने के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (कल्पित) कर पश्चात निवल लाभ Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning.	(5817.36*)

* एनपीआई में ₹120.60 करोड़ के प्रावधान में विचलन शामिल है।

* Including Divergence in provision of ₹120.60 Crore in NPI.

8. व्यवसाय अनुपात / Business Ratios

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय Interest Income as a percentage to Working Funds	7.03	6.84
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.71	1.13
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.15	1.44
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	-3.48%	-1.96%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹in Crore)	16.28	15.86
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) / Profit per employee (₹in Crore)	-0.359	-0.195

9. आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management:

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न यथास्थिति 31.03.2019

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2019

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)	जमाराशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
					आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1दिन / Day 1	2108.42	690.82	13465.16	27.17	80.37	221.80
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	6498.16	2090.81	1614.51	1550.00	166.35	18.08
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	6801.91	2143.33	1324.39	3600.00	50.61	7.33
15 से 30 दिन /15 to 30 days	1329.33	4907.47	512.40	0.00	86.56	9.06
31दिन से 2 माह तक 31 days and upto 2 months	2501.18	3678.80	2697.97	0.00	337.84	19.45
2 माह से अधिक और 3 माह तक More than 2 months and upto 3 months	2980.72	9099.72	2799.99	90.01	35.53	32.49
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	5595.87	8888.38	1428.74	472.50	52.59	84.02
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	11302.10	12929.46	2745.57	749.91	806.59	3259.58
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	70726.20	34446.99	16137.11	2797.63	3530.89	2490.25
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	36345.09	17690.30	7821.40	701.73	1742.31	708.97
5 वर्ष से अधिक/Over 5 years	68145.09	45646.08	29010.67	2500.00	335.69	548.60
कुल / Total	214334.07	142212.16	79557.91	12488.94	7225.32	7399.64

10. एक्सपोजर / Exposures :

10.1 अचल संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / (A) Direct exposure		
(i) रिहायशी बंधक - / Residential Mortgages – उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented - जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अग्रिम में समावेशन हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण -of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advance	14828.18 10100.00	12644.83 8352.82
(ii) वाणिज्यिक अचल संपदा / Commercial Real Estate – - उधार वाणिज्यिक अचल संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ शामिल हैं। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	2153.33	2916.71

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष/F.Y.	वित्तीय वर्ष/F.Y.
	2018-19	2017-18
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – ए. रिहायशी / a. Residential बी. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate.	शून्य/NIL शून्य/NIL	शून्य/NIL शून्य/NIL
(बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर/B) Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	7587.31	3203.43
अचल संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector	24614.87	18764.97

10.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / Sl.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(I)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	926.19	1127.35
(ii)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को अप्रलेखी आधार पर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा शेयर/बांड/डिबेंचर/के बदले अग्रिम Advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(III)	अन्य किसी प्रयोजन, जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	0.81	1.15
(IV)	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं; Advances for any other purposes to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(V)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	100.25	100.25

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / SI.No.	विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
(VI)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कॉरपोरेट को शेयर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण। Loans sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VII)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के सापेक्ष कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(VIII)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनितों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता Underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(IX)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण Financing to stock brokers for margin trading;	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(X)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	3.57	5.33
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market	1030.83	1234.08

10.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2019 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2019	31.03.2019 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2019	31.03.2018 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2018	31.03.2018 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2018
नगण्य/Insignificant	2011.72	शून्य/NIL	1875.69	शून्य/NIL
कम/Low	253.77	शून्य/NIL	1038.10	शून्य/NIL
साधारणतया निम्न/Moderately Low	35.15	शून्य/NIL	8.14	शून्य/NIL
मध्यम/Moderate	11.05	शून्य/NIL	27.32	शून्य/NIL
साधारणतया अधिक/Moderately High	1.14	शून्य/NIL	0.81	शून्य/NIL
अधिक/High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बहुत अधिक/Very High	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
प्रतिबंधित/Restricted	0.04	शून्य/NIL	16.39	शून्य/NIL
ऑफ-क्रेडिट/Off-credit	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल/Total	2312.87	शून्य/NIL	2966.99	शून्य/NIL

10.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण :

Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank:

गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18)/ Previous Year (FY 2017-18) ;

(₹ करोड़ में/₹ in crore)

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल निवेश सीमा (मौजूदा) Single Exposure Limit (Existing)			संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit			यथास्थिति बकाया शेष 31.03.2018 को Outstanding Balance as on 31.03.2018		
1. मे. ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लि. (10.08.17 और 16.11.17 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) 1. M/s ONGC Petro Additions Ltd. (Sanctioned by MCBOD on 10.08.17 & 16.11.17)	एफबी	एनएफबी	कुल	एफबी	एनएफबी	कुल	एफबी	एनएफबी	कुल
	2680.00	0.00	2680.00	2582.73	200.00	2782.73	1516.53	169.09	1685.62
2. मे. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (29.08.2017 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) 2. M/s HPCL Mittal Energy Ltd. (Sanctioned by MCBOD on 29.08.17)	2680.00	0.00	2680.00	2430.00	400.00	2830.00	0.00	2.96	2.96

चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19)/ Current Year (FY 2018-19) ;

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल निवेश सीमा (मौजूदा) Single Exposure Limit (Existing)			संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit			यथास्थिति बकाया शेष 31.03.2019 को Outstanding Balance as on 31.03.2019		
	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total	एफबी FB	एनएफबी NFB	कुल Total
1. मे. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेव अथॉरिटी (28.09.2018 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) M/s Uttar Pradesh Expressways Industrial Dev Authority (Sanctioned by MCBOD on 28.09.18)	1980.00	0.00	1980.00	3150.00	0.00	3150.00	1489.80	0.00	1489.80
मे. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (19.03.2019 को एमसीबीओडी द्वारा संस्वीकृत) M/s HPCL Mittal Energy Ltd. (Sanctioned by MCBOD on 28.09.19)	1330.00	0.00	1330.00	1880.00	0.00	1880.00	336.00	0.00	336.00

नोट:

- वर्ष के दौरान एकल एक्सपोजर सीमा मे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेव. अथॉरिटी के खाते में एक बार भंग हुई थी। ₹3150.00 करोड़ का सकल एक्सपोजर भारिबैं द्वारा बैंक को दिए गए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमा से ऊपर पूंजीगत निधियों का अतिरिक्त 5%) एकल एक्सपोजर सीमा के भंग होने की रिपोर्ट ऋण विभाग द्वारा निदेशक मंडल को 12.11.2018 को आयोजित बैठक में दी गई थी।
- मे. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. को ₹1880.00 करोड़ का सकल एक्सपोजर भारिबैं द्वारा बैंक को दिए गए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमा से ऊपर पूंजीगत निधियों का अतिरिक्त 5%)। एकल एक्सपोजर सीमा के भंग होने की रिपोर्ट ऋण विभाग द्वारा निदेशक मंडल को 26.03.2019 को आयोजित बैठक में दी गई थी।

Note:

- The single exposure limit was breached on one occasion during the year in the account M/s Uttar Pradesh Expressways Industrial Dev. Authority. The aggregate exposure of ₹3150.00 Crore is within the discretion given to Bank by RBI (additional 5% of the capital funds over prudential limit). The breach of single exposure limit was reported by Credit Department to BOD in its meeting dt. 12.11.2018.
- The aggregate exposure of ₹1880.00 Crore to M/s HPCL Mittal Energy Ltd is within the discretion given to Bank by RBI (additional 5% of the capital funds over prudential limit). The breach of single exposure limit was reported by Credit Department to BOD in its meeting dt. 26.03.2019.

10.5 अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
ए/अ) कुल अप्रतिभूत अग्रिम / Total Unsecured Advances	15014.08	27236.82
बी/ब) इसमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अग्रिम जैसे अधिकारों पर प्रभार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि Of which advances backed by intangible securities such as charge over rights, licenses, authority etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

11. विविध / Miscellaneous

11.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year :

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	(767.47)	4.13
आस्थगित कर हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	(29.46)	(1321.04)

11.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया अर्थदंड: / Penalties imposed by RBI:

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित अर्थ दंड लगाया गया: /

Reserve Bank of India has imposed following penalties during the year.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19
उधारखातों के संबंध में आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना Non adherence of internal guidelines relating to a borrowed accounts	1.50
टी+1 और टी+5 आधार पर नोस्ट्रो नामे और जमा का समाधान न करना Non reconciliation of NOSTRO debits and credits on T+1 and T+5 basis	2.00

लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाएं / Disclosure Requirements as per Accounting Standards

12. लेखा मानक 5 'अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन':

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार है:

12. Accounting Standard 5- Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
आय/Income	0.07	(0.55)
व्यय/Expenditure	0.52	1.48
निवल आय/(व्यय)/Net Income/(Expenditure)	(0.45)	(2.03)

13. एएस 9 राजस्व अभिज्ञान

लेखा नीति सं. 09 के अनुसार आय की कतिपय मदों को वसूली आधार पर अभिज्ञात किया जाता है। तथापि एक आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

13. AS 9 Revenue Recognition

Certain items of Income are recognized on realization basis as per accounting policy No.09. However the said income is not considered to be material.

14. एएस 10 संपत्तियां, संयंत्र और उपकरण

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्य ह्रास का विवरण।

14. AS 10 Properties ,plant and Equipment

Breakup of total depreciation for the year ended March 2019 for each class of assets.

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

आस्ति का वर्ग/Class of asset	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
परिसर/Premises	47.64	49.93
अन्य स्थिर आस्तियां/Other Fixed Assets	90.47	93.17
पट्टाकृत आस्तियां/Leased Assets	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कंप्यूटर साफ्टवेयर/Computer Software	9.59	9.78
कुल / Total	147.70	152.88

15. एएस 11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व का संचलन

15. AS 11 Changes in foreign Exchange rates

Movement of Foreign Currency Translation Reserve:

विवरण/Particulars	31.03.2019	31.03.2018
अथ शेष/Opening Balance	85.72	85.79
वर्ष के दौरान जमा/Credited during the Period	33.06	NIL
01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान नामे Debited during the period 01.04.2018 to 31.03.2019	0.00	0.07
इति शेष/Closing Balance	118.78	85.72

16. एस 15 कर्मचारी लाभ

बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से कर्मचारी लाभों यथा पेंशन, ग्रैच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, और एलएफसी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)-कर्मचारी लाभ को अपनाया है।

निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीईआर-1995), ग्रैच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एलएफसी के संबंध में बैंक की देयता को निम्नानुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) में निर्धारित सिद्धांत और

(बी) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश जीएन 26।

16. AS 15 Employees Benefits

The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised)-Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension, Gratuity, Leave Encashment, LFC w.e.f. 1st April, 2007.

Bank's liabilities in respect of the funded/non-funded employee benefits, viz., Pension(ABEPR-1995), Gratuity, Leave Encashment and LFC are recognized on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per

a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and

b) Guidelines GN 26 issued by The Institute of Actuaries of India.

कर्मचारी लाभ के लेखा का प्रकटीकरण [एएस-15 के अनुसार (समीक्षित)]

Disclosure on accounting of employee benefits [as per AS-15 (revised)]

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN							
	निधिबद्ध / Funded				गैर-निधिबद्ध / Non-funded			
	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी LFC	
	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2017-18
रियायती दर /Discount Rate	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
वेतन की बढ़ती दर Salary Escalation Rate	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	NA	NA
ह्रास दर (प्र.व.) / Attrition Rate (p.a.)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	NA	NA	NA	NA

ए) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

A) Changes in the present value of Obligation

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के आरंभ में पीवीओ	C.Y.	6035.37	981.92	510.66	161.54
a) PVO at the beginning of the year	P.Y.	5770.81	929.57	507.82	147.34
बी) ब्याज लागत	C.Y.	433.85	67.81	35.03	11.27
b) Interest cost	P.Y.	415.72	65.76	37.56	10.80
सी) चालू सेवा लागत	C.Y.	598.96	51.59	93.12	0.00
c) Current Service Cost	P.Y.	610.10	127.16	92.14	0.00
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	501.34	155.53	87.18	22.66
d) Benefits Paid	P.Y.	455.82	105.46	13.93	6.77
ई) बाध्यता पर बीमांकक हानि/(लाभ)	C.Y.	(153.36)	(5.34)	(31.80)	18.16
e) Actuarial Loss/ (Gain) on Obligation	P.Y.	(305.44)	(35.11)	(112.93)	10.17
एफ) वर्ष के अंत में पीवीओ	C.Y.	6413.48	951.13	519.83	168.31
f) PVO at the close of the year	P.Y.	6035.37	981.92	510.66	161.54

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

VALUE RESEARCH PREMIUM

बी) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन / B) Changes in the Fair Value of Plan Assets (₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN		
		निधिबद्ध / Funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity
ए) वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य			
a) Fair Value of Plan Assets at the beginning of year	C.Y.	5938.53	938.21
	P.Y.	5769.63	965.79
बी) योजना आस्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल	C.Y.	445.39	70.37
b) Expected return of Plan Assets	P.Y.	432.72	72.43
सी) नियोक्ता का अंशदान	C.Y.	453.94	112.70
c) Employer's Contribution	P.Y.	131.16	0.00
डी) प्रदत्त लाभ	C.Y.	501.34	155.53
d) Benefits Paid	P.Y.	455.82	105.46
ई) बीमांकक (हानि)/लाभ	C.Y.	7.85	(20.52)
e) Actuarial (Loss)/Gain	P.Y.	57.96	6.06
एफ) वर्ष के अंत में आस्तियों का उचित मूल्य			
f) Fair Value of Plan Assets at the close of year (a+b+c+d+e=f)	C.Y.	6344.37	945.23
	P.Y.	5935.64	938.82
जी) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	C.Y.	508.14	76.55
g) Actual return on Plan Assets	P.Y.	488.97	78.96

* संबंधित न्यास निधि के लेखापरीक्षित आंकड़े/* Audited Figure of the concerned Trust Fund

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

सी) निवल बीमांकक हानि / (लाभ) / C) Net Actuarial Loss / (Gain)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (लाभ)					
a) Actuarial loss / (gain) on obligation (A)	C.Y.	(153.36)	(5.34)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(305.44)	(35.11)	(112.93)	10.17
बी) योजना आस्तियों पर बीमांकक हानि/(लाभ)					
b) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (B)	C.Y.	(7.85)	(20.52)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	(57.96)	(6.06)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) निवल बीमांकक (हानि)/(लाभ)					
c) Net Actuarial loss / (gain)(a-b)	C.Y.	(161.21)	(25.86)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
डी) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/लाभ					
d) Actuarial loss / (gain) recognized in the period	C.Y.	(161.21)	(25.86)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
ई) अनभिज्ञात बीमांकक हानि					
e) Unrecognised actuarial loss	C.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil	शून्य/Nil

डी) तुलनपत्र में अभिज्ञात राशि / D) Amount recognized in Balance Sheet

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य a) Present value of defined benefit obligation at the end of the Year	C.Y.	6413.48	951.13	519.83	168.31
	P.Y.	6035.37	981.92	510.66	161.54
घटाएं :/Less:					
बी) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य b) Fair value of Plan Assets at close of the Year	C.Y.	6344.37	945.23	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	5935.64	938.82	शून्य/Nil	शून्य/Nil
सी) तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता / (आस्ति) c) Unfunded Net Liability/ (Asset) recognized in Balance Sheet	C.Y.	69.11	5.90	519.83	168.31
	P.Y.	99.73	43.10	510.66	161.54

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

ई) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय

E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) चालू सेवा लागत a) Current service cost	C.Y.	598.96	51.59	93.12	शून्य/Nil
	P.Y.	610.10	127.16	92.14	शून्य/Nil
बी) ब्याज लागत b) Interest Cost	C.Y.	433.85	67.81	35.03	11.27
	P.Y.	415.72	65.76	37.56	10.80
सी) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय c) Expected return on Plan Assets	C.Y.	445.39	70.37	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	P.Y.	432.72	72.43	शून्य/Nil	शून्य/Nil
डी) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) d) Net actuarial loss / (gain) recognized in the year	C.Y.	(161.21)	(25.86)	(31.80)	18.16
	P.Y.	(363.40)	(41.17)	(112.93)	10.17
ई) निवल लाभ व्यय e) Net Benefit Expense	C.Y.	426.21	74.89	96.35	29.43
	P.Y.	229.70	79.32	16.77	20.97

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

एफ) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Non-funded	
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC
ए) अथ निवल देयता	C.Y.	96.83	43.71	510.66	161.54
a) Opening Net Liability	P.Y.	1.18	(36.21)	507.82	147.34
बी) निवल लाभ व्यय	C.Y.	426.22	74.89	96.35	29.43
b) Net Benefit Expense	P.Y.	229.70	79.31	16.77	20.97
घटाएं / Less:					
सी) कर्मचारियों को भुगतान /अंशदान की गई राशि	C.Y.	453.94	112.70	87.18	22.66
c) Contribution paid / Amt. paid to employees	P.Y.	131.16	0.00	13.93	6.77
डी) इति निवल देयता (अतिरिक्त राशि यथाप्रावधान प्रतिधारित होगी)	C.Y.	69.11	5.90	519.83	168.31
d) Closing Net Liability (The excess amount may be retained as provision)	P.Y.	99.73	43.10	510.66	161.54

C.Y. - चालू वर्ष /Current Year

P.Y. - गत वर्ष /Previous Year

जी) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत

G) Investment percentage maintained by the Trust

(%में)/(in %)

विवरण Particulars	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	10.01	11.70	40.63	35.60
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	60.41	52.80	42.32	40.04
उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	29.33	35.23	16.88	24.23
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Schemes	0.25	0.27	0.17	0.13
अन्य निवेश / Other Investments	NA	NA	NA	NA

17. सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखामानक (एएस) 17 “ सेगमेंट रिपोर्टिंग”

सेगमेंट सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरण में लेखा मानक -17 के पैरा 4 के अनुसार दी गई हैं।

17. Segment Reporting - Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"

Segment information is given in the Consolidated Financial Statement in terms of Para 4 of the AS-17.

18. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18-

संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन: संबंधित पक्षकारों के नाम, बैंक के साथ उनके संबंध और किए गए लेनदेन-

18. Related Party Disclosures - Accounting Standard (AS) 18

List of Related Parties and Transactions: The names of the related parties, their relationship with the bank and transactions effected-

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / a) Key Management Personnel :

(₹ लाख में) / (₹ in Lac)

	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियां Remuneration	
			वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2017-18
1.	श्री सी.एच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव Shri CH. S.S. Malikarjun Rao	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO (से/From 19.09.2018)	14.51	शून्य/NIL
2.	श्री के. रामचंद्रन Shri K Ramachandran	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/From 26.12.2018)	6.31	शून्य/NIL
3.	श्री पी.आर. राजगोपाल Shri P. R. Rajagopal	कार्यपालक निदेशक Executive Director (से/From 01.03.2019)	1.98	शून्य/NIL
भूतपूर्व निदेशक /Ex- Directors				
1.	श्री एन. के. साहु Shri N.K.Sahoo	कार्यपालक निदेशक Executive Director (तक/Upto 28.02.2019)	44.73*	23.52
2.	श्री एस. हरिशंकर Shri S. Harisankar	कार्यपालक निदेशक Executive Director (तक/Upto 19.09.2018)	11.35	22.27
3.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन Smt. Usha Ananthsubramanian	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & CEO (तक/Upto 12.08.2018)	10.81	25.37

* ₹21.64 लाख का अवकाश नकदीकरण शामिल है / Leave Encashment amount of ₹ 21.64 lakh

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

(बी) संयुक्त उद्यम

- i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.
बैंक युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लि.के ₹105.00 करोड़ मूल्य के 28.52% शेयर धारित कर रहा है।
- ii) आसरेक (इंडिया) लि.
बैंक एएसआरईसी (इंडिया) लि. के ₹26.50 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹26.50 करोड़) के 27.04% प्रतिशत शेयर धारित करता है।

b) Joint Venture:

- i. Universal Sampo General Insurance Company Limited.
The Bank is holding 28.52% share in Universal Sampo General Insurance Company Limited amounting to ₹105.00 Crore.
- ii. ASREC (India) Ltd.
The Bank is holding 27.04% share in ASREC (India) Ltd. amounting to ₹26.50 Crore (previous year ₹26.50 Crore)

(सी) एसोसिएट्स

इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक:
बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ₹21.67 करोड़ मूल्य (विगत वर्ष ₹21.67 करोड़) के 35 प्रतिशत को धारित करता है।

c) Associates:

Allahabad U.P. Gramin Bank:
The Bank is holding 35% share in Allahabad U.P. Gramin Bank amounting to ₹21.67 Crore (previous year ₹21.67 Crore).
The Government of India vide their notification no. 7/8/2017-RRB (Uttar Pradesh II) dated 25.01.2019 has notified the amalgamation of Allahabad UP Gramin Bank and Gramin Bank of Aryawart (sponsored by Bank of India) into a single Regional Rural Bank, which shall be called as Aryavart Bank under sponsorship of Bank of India effective from 01st April, 2019. Accordingly, with effect from the 01.04.2019, our sponsored RRB Allahabad UP Gramin Bank, ceases to be in existence.

भारत सरकार ने दिनांक 25.01.2019 की अपनी अधिसूचना सं.7/8/2017-आरआरबी (उत्तर प्रदेश II) के तहत इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक और ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त (बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) को एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन हेतु अधिसूचित किया है जिसे 1 अप्रैल, 2019 से बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अंतर्गत आर्यवर्त बैंक कहा जाएगा। तदनुसार, 01.04.2019 से हमारे द्वारा प्रायोजित आरआरबी इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

VALUE RESEARCH PREMIUM

(डी) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

d) Transactions with Joint Venture Company namely Universal Sompo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
अर्जित आय / Income Earned	17.55	17.04
बैंक द्वारा प्रदत्त बीमा प्रिमियम / Insurance Premium Paid by the bank	1.51	1.48

संबंधित पक्षकारों के संबंध में अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: /

Other Disclosures pertaining to related parties are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

मद/संबंधित पार्टी Items/Related Party	पेरेंट (स्वामित्व नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per ownership control)	एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यम Associate/ joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्यात्मक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्यात्मक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
	1	2	3	4	2+3+4
उधार / Borrowings	-	1.35	-	-	1.35
जमा राशियां / Deposits	14.28	-	-	-	0.00
जमा राशियों का प्लेसमेंट / Placement of Deposits	-	14	0.20	-	14.20
अग्रिम / Advances	1.35	-	-	-	-
निवेश / Investments	0.11	-	-	-	0.00
गैर निधिगत प्रतिबद्धताएं/ Non-funded commitments	-	-	-	-	-
उपभोग की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था/ Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद/ Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री/ Sale of fixed assets	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज/Interest paid	76.00	15.81	-	-	15.81
प्राप्त ब्याज/Interest received	15.81	75.99	0.01	-	76.00
सेवा प्रदान करना/Rendering of Services	19.26	1.51	-	-	1.51
सेवा प्राप्त करना/Receiving of Services	1.51	19.26	-	-	19.26
प्रबंधन संविदा/Management contracts	2.36	2.36	-	-	2.36

19. पट्टा (एस 19)

ए) बैंक के पास कार्यालयों/आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग:

यथास्थिति 31.03.2019 को असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया।

19. Leases (AS 19)

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) Total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2019.

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	यथास्थिति/ As on 31.03.2019	यथास्थिति / As on 31.03.2018
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	127.28	130.58
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	429.83	495.89
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	372.32	377.13

- | | |
|--|---|
| <p>ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)</p> <p>iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : ₹214.56 करोड़ (विगत वर्ष ₹201.08 करोड़)</p> <p>iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)</p> | <p>ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non- cancellable subleases at the balance sheet date: NIL(Previous Year: Nil).</p> <p>iii) Lease payments recognized in the statement of profit and loss for the period: ₹214.56 Crore (previous year ₹201.08 Crore)</p> <p>iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: NIL (Previous Year: Nil).</p> |
| <p>बी) वित्तीय पट्टा :</p> <p>बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।</p> | <p>B) Financial Lease:</p> <p>Bank is not having any assets under Financial Lease.</p> |

20. प्रति शेयर अर्जन - (एएस) 20 / Earning Per Share – (AS) 20

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
ए. A	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (₹) Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	(65.34)	(59.63)

प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
ए. A	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ in Crores)	(8333.96)	(4674.37)
बी. B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	1,27,55,58,495	78,38,74,547
सी. C	प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (ए/बी) (₹) Basic and Diluted Earning per Share (A/B) (₹)	(65.34)	(59.63)
डी. D	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य (₹) Nominal Value per share (₹)	10.00	10.00

21. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22 / Accounting for Taxes on Income:(AS) 22

तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है:

The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the Year		समायोजन जोड़ें/(घटाएं) Adjustment Add / (Less)		वर्ष की समाप्ति पर At the close of the year	
	वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.		वित्तीय वर्ष/F.Y.	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
आस्थगित कर आस्तियाँ						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान Deferred Tax Assets						
Provision for Leave Encashment	120.14	119.16	4.37	0.98	124.51	120.14
एफआईटीएल हेतु प्रावधान/ Provision For FITL	91.37	191.75	(59.99)	(100.38)	31.38	91.37
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान Provision For Bad & Doubtful Debts	2156.00	1939.03	(39.76)	216.97	2116.24	2156.00
आयकर के अनुसार हानि Loss as per Income tax	1118.19	शून्य/NIL	10.85	1118.19	1129.04	1118.19
कुल /Total	3485.70	2249.94	(84.53)	1235.76	3401.17	3485.70
आस्थगित कर देयताएँ/ Deferred Tax Liabilities						
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत कटौती के कारण विशेष प्रारक्षिती को अंतरित राशि Amount transferred to Special Reserve on account of deduction under Section 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961	494.94	494.94	4.80	शून्य/NIL	499.74	494.94
धोखाधड़ी हेतु अपरिशोधित प्रावधान/ Depreciation on Investment/ Securities	124.98	124.98	(124.98)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	124.98
निवेश/प्रतिभूतियों पर मूल्यहास/ Un amortised Fraud Provision	शून्य/NIL	85.28	शून्य/NIL	(85.28)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
मूल्यहास/Depreciation	शून्य/NIL	शून्य/NIL	6.19	शून्य/NIL	6.19	शून्य/NIL
कुल /Total	619.92	705.20	(113.99)	(85.28)	505.93	619.92
आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Liabilities (Net)	(2865.78)	(1544.74)	(29.46)	(1321.04)	(2895.24)	(2865.78)

- अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान तथा पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कराधान के लिए प्रावधान संबंधी आस्थगित कर आस्तियों की कर विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की गई है और उनकी सलाह के आधार पर पूर्ववर्ती वर्षों में कर हेतु किए गए ₹746.82 करोड़ के प्रावधान को रिटर्न बैक किया गया है।
- पर्याप्त भावी करयोग्य आय की आभासी निश्चितता के सिद्धांत पर विचार करते हुए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में आगे ले जाई गई हानियों पर ₹1118.19 करोड़ के डीटीए को अभिज्ञात किया है। वर्ष के दौरान हानियों हेतु कोई अतिरिक्त डीटीए सृजित नहीं किया गया है।

- Deferred Tax Assets on provision for Bad and Doubtful Debts and Provision for Taxation for earlier years have been reviewed by tax expert and based on his advice provision for taxes made in earlier years ₹746.82 Crore has been written back.
- Considering the principal of Virtual Certainty of sufficient future taxable income, the bank had recognised the DTA of ₹1118.19 Crore on carried forward losses in the F.Y. 2017-18. No further DTA has been created for losses during the year.

22. वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2019 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु अपेक्षित कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है।

22. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which **Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets'** is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as on 31.03.2019 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

23. "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण।

23. Disclosure in terms of **Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"**:

23.1. लाभ एवं हानि खाते में प्रावधान एवं आकस्मिक देयताओं हेतु नामे/Provisions & Contingencies debited to Profit & Loss Account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a)निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	465.78	743.27
(i) निवेश पर मूल्यहास / Depreciation on Investment	264.45	364.43
(ii) एनपीए पर मूल्यहास / Depreciation on NPI	201.33	378.84
(बी)/(b)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision towards NPA	11761.13	10326.45
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	(137.38)	(634.39)
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	(767.47)	(595.61)
(ई)/(e)आस्थगित कर (आस्तियाँ)/देयताएं/Deferred Tax (Assets) Liabilities	(29.46)	(1321.04)
(एफ)/(f)आईआरएस हेतु प्रावधान/Provision for IRS	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(जी)/(g)अन्य /Others	(191.63)	(405.99)
कुल/Total	11100.97	8112.69

23.2. प्रावधान और आकस्मिकताएं (इति शेष)

Provision and Contingencies (Closing balance)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a)एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	21261.45	14308.11
(बी)/(b)निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	1759.54	1322.09
(सी)/(c)मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/ Provision towards Standard Assets	616.94	751.20
(डी)/(d)आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	3330.80	4100.64
(ई)/(e)आस्थगित कर (आस्तियाँ)/देयताएं/Deferred Tax (Assets) / Liabilities	(2895.24)	(2865.78)
(एफ)/(f)अन्य /Others	1771.91	1818.61
कुल/Total	25845.40	19434.87

24. अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर)/Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer):

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर / Counter cyclical Provision Buffer		अस्थिर प्रावधान / Floating Provision	
	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) अथ शेष / Opening Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी)/(b) वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Provision made during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(सी)/(c) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and Amount of draw down during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(डी)/(d) इति शेष Closing Balance	24.00	24.00	शून्य/NIL	शून्य/NIL

25. आरक्षित निधियों से ड्रॉ डाउन
वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से किसी राशि को ड्रा डाउन नहीं किया गया है (विगत वर्ष शून्य)

25. Draw Down from Reserves:
No amount has been drawn from the Reserve during the year. (Previous year Nil).

26. शिकायतों का प्रकटीकरण/Disclosure of Complaints :

ए/A. ग्राहकों की शिकायतें/Customer Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	134	211
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Received during the year	39081	14476
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Redressed during the year	35978	14553
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the end of the year	3237	134

बी/B. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतें/Shareholders/Investors Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	शून्य/NIL	01
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Received during the year	135	277
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या / No. of Complaints Redressed during the year	134	278
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या / No. of Complaints pending at the end of the year	01*	शून्य/NIL

* निस्तारित की जा चुकी/ Since Resolved

सी/C. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड/Awards passed by the Banking Ombudsman :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(बी)/(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	शून्य/NIL	3
(सी)/(c) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of awards implemented during the year	शून्य/NIL	3
(डी)/(d) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/ No. of unimplemented awards at the end of the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL

डी/D. एटीएम से संबंधित शिकायतें/ATM Related Complaints :

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
(ए)/(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the beginning of the year	1503	3452
(बी)/(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Received during the year	146755	95621
(सी)/(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints Redressed during the year	144568	97570
(डी)/(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ No. of Complaints pending at the end of the year	3690	1503

27. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

31.03.2019 को यथास्थिति बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 79.85% है (विगत वर्ष 62.91%)

28. वर्ष के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय से आय:

जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त कमीशन : ₹17.55 करोड़ (विगत वर्ष ₹27.37 करोड़) रहा।

29. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण :

27. Provisioning Coverage Ratio (PCR):

The provision coverage ratio as on 31.03.2019: 79.85 % (Previous Year 62.91%)

28. Income from Bancassurance business during the year:

Commission received on life & non-life insurance business: ₹17.55 Crore (previous year ₹27.37 Crore).

29. Concentration of Deposits, Advances, Exposures & NPAs:

29.1. जमाराशियों का संकेन्द्रण / Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि Total deposit of twenty largest depositors	9258.82	11152.38
बैंक की कुल जमाराशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	4.32	5.22

29.2. अग्रिमों का संकेन्द्रण /Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम/ Total advances to twenty largest borrowers	27550.29	31455.05
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	16.40	15.78

29.3. एक्सपोजर का संकेन्द्रण / Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total exposure to twenty largest borrowers/ customers	30155.60	34011.16
बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposure to twenty largest borrowers/ customers to total exposure of the bank on borrowers/customers	15.44	14.49

29.4. एनपीए पर संकेन्द्रण /Concentration on NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (सकल) Total Exposure to top four NPA accounts (Gross)	3301.94	4733.12

29.5. क्षेत्रवार एनपीए : संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत /

Sector-wise NPAs: Percentage of NPAs to Total Advances in that sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्रम सं. SI No	क्षेत्र/Sector	चालू वर्ष/Current year			विगत वर्ष/Previous year		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
क/Α	प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	26763.93	3128.45	11.69%	26713.01	1603.46	6.00
2	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण हेतु पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	9820.59	1694.84	17.26%	12930.87	3052.29	23.60
3	सेवाएं/Services	16144.20	1765.85	10.94%	17223.36	1651.25	9.59
4	वैयक्तिक ऋण/अन्य ऋण Personal Loans/Other Loan	11305.86	584.88	5.17%	9726.67	219.68	2.26
	उप जोड़(क)/Sub-Total (A)	64034.58	7174.02	11.20%	66593.91	6526.68	9.80
ख/Β	गैर प्राथमिकता क्षेत्र/Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities	171.75	138.81	80.82%	0.00	0.00	0.0
2	उद्योग/Industry	44463.50	16900.79	38.01%	38722.42	15715.93	40.59
3	सेवाएं/Services	37901.58	3591.21	11.84%	37595.05	2954.63	7.86
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	503.04	15.08	3.00%	0.00	0.00	0.00
5	अन्य/Others	16477.88	884.87	5.37%	23524.48	1365.55	5.80
	उप जोड़(ख)/Sub-Total (B)	99517.75	21530.76	21.63%	99841.95	20036.11	20.07
	कुल (क+ख)/Total (A+B)	163552.33	28704.78	17.55%	166435.86	26562.79	15.96

29.6. एनपीए का संचलन / Movement of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
वर्ष के आरंभ में 1अप्रैल को सकल एनपीए (अथ शेष)/ Gross NPAs as on 1 st April-beginning of the year (Opening Balance)	26562.79	20687.83
वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)/Additions (Fresh NPAs) during the year	10726.32	12903.28
उप जोड़ (ए) / Sub- Total (A)	37289.11	33591.11
घटाएं / Less:-		
(i) उन्नयन / Upgradations	1462.12	1307.22
(ii) वसूली (अपग्रेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2826.71	2071.86
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण राइटऑफ Technical/Prudential Write-offs	2990.55	2723.78
(iv) उपर्युक्त (iii) में से इतर के अंतर्गत राइटऑफ Write-offs other than those under (iii) above	1292.44	925.46
उप जोड़ (बी) / Sub- Total (B)	8584.33	7028.32
31 मार्च को यथास्थिति सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी) Gross NPAs as on 31 st March of following year (Closing Balance) (A-B)	28704.78	26562.79

तकनीकी राइट ऑफ और उसमें की गई वसूलियों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

Disclosure on Technical write –offs and the recoveries made thereon

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
1 अप्रैल (वर्ष के आरंभ में) को यथास्थिति तकनीकी/विवेकपूर्ण रिटेन ऑफ खातों में अथ शेष		
Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1 (Beginning of the year)	6405.25	6235.76
वृद्धि: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट ऑफ		
Add: Technical/ Prudential write-off during the year	2990.55	2723.78
उप जोड़ (ए) / Sub- Total(A)	9395.80	8959.54
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण रिटेन ऑफ खातों में की गई वसूली (बी)		
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written- off accounts during the year (B)	1281.30	2554.29
31 मार्च को यथास्थिति इतिशेष (ए-बी)		
Closing Balance as at March' 31 (A-B)	8114.50	6405.25

29.7. विदेशी आस्तियां एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
कुल आस्तियां / Total Assets	3700.24	13125.03
कुल एनपीए /Total NPAs	6.45	143.39
कुल राजस्व /Total Revenue	275.11	358.50

भारत सरकार के निर्देशानुसार निदेशक मंडल ने 28जून, 2018 को विदेशी शाखा बंद करने हेतु अनुमति दी।

On 28th June 2018, the Board of Directors approved for the closure of Overseas Branch as per the Government of India directive.

30. तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)-

शून्य (विगत वर्ष: शून्य)

30. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms):

NIL (Previous year: NIL).

31. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन:

चूंकि बैंक द्वारा किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया गया है अतः तुलनपत्र की तारीख को यथास्थिति प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि शून्य है (विगत वर्ष शून्य)

31. Disclosures relating to Securitization:

As there is no SPVs sponsored by the Bank, the outstanding amount of securitized assets of SPVs as on date of balance sheet is Nil (Previous year: Nil)

32. ऋण चूक स्वैप: शून्य

बैंक का ऋण चूक स्वैप में कोई एक्सपोजर नहीं है अतः यह ऋण चूक स्वैप हेतु कीमतों हेतु किसी आंतरिक मॉडल का प्रयोग नहीं कर रहा है।

32. Credit Default Swaps: Nil

Bank is not having any exposure in credit default swap and as such not using any internal model for pricing of credit default swaps.

33. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर/Intra-Group Exposures:

बैंक के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व वाले संस्थाओं में बैंक का एक्सपोजर निम्नवत है;

Bank's exposure to the group entities that are owned by the bank fully or partly are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2017-18
क/अ) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि /Total amount of Intra-group exposures	156.27	156.27
ख/ब) शीर्ष 20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि/Total amount of top-20 intra-group exposures	156.27	156.27
ग/क) उधारकर्ताओं/ग्राहकों में बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	शून्य/NIL	शून्य/NIL
घ/द) इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की सीमा तोड़ने और उस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो का विवरण Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL

34. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरण

अदावी देयताएं जहां रकम देय है को वर्ष के दौरान निम्नानुसार डीईएफ में अंतरित किया गया है

34. Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

Unclaimed liabilities where amount due has been transferred to DEAF during the year are as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष / F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
डीईएफ में अंतरित राशि का अथ शेष / Opening balance of amounts transferred to DEAF	128.57	19.29
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित राशि / Add: Amounts transferred to DEAF during the year	302.78	109.30
घटाएं: दावों हेतु डीईएफ से प्रतिपूर्ति की गई राशि / Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.06	0.02
डीईएफ में अंतरित राशि का इति शेष / Closing balance of amounts transferred to DEAF	429.30	128.57

35. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

उपलब्ध डेटा, उपलब्ध वित्तीय विवरण और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा, जहाँ से प्राप्त हुई है, के आधार पर बैंक ने 15 जनवरी 2014 के भारिबे के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 85/21.06.200/2013-14 और दिनांक 3 जून 2014 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए परवर्ती स्पष्टीकरण के अनुसार अपने ग्राहकों के लिए अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में 31 मार्च 2019 तक ₹0.67 करोड़ (विगत वर्ष ₹2.25 करोड़) की देयता का अनुमान लगाया है। समूची अनुमानित राशि का पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

35. Unhedged Foreign Currency Exposure:

Based on the available data, available financial statements and declaration from borrowers wherever received, the Bank has estimated the liability of ₹0.67 crore up to 31st March, 2019 (previous year ₹2.25 crore) on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD. No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated 15th January 2014 and subsequent clarification vide circular no. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated 3rd June, 2014. The entire estimated amount has been fully provided for.

36. तरलता कवरेज अनुपात :

31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही हेतु तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

36. Liquidity Coverage Ratio:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) related information for the year ending March 31, 2019 is given as under;

36.1. एलसीआर प्रकटन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 की चारों तिमाहियों को शामिल करते हुए तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) निम्नानुसार है;

36.1. LCR Disclosure:

Liquidity Coverage Ratio (LCR)-covering all the four quarters of the FY 2018-19 for the year ended 31st March, 2019 is given as under;

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	
	कुल अभांरित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भांरित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभांरित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भांरित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
उच्च कोटि की तरल आस्तियां/ High Quality Liquid Assets				
1. कुल उच्च कोटि की तरल आस्तियां(एचक्यूएलए)/ Total High Quality Liquid Assets(HQLA)		47224		37198
नकदी बहिर्प्रवाह/Cash Outflows				
2. खुदरा जमाराशियाँ और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियाँ जिनमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which	173436	17030	157757	15487
(i) स्थिर जमाराशियाँ/Stable deposits	6282	314	5779	289
(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ/Less stable deposits	167154	16715	151978	15198
3. अप्रतिभूत थोक निधियन जिसमें से / Unsecured wholesale funding, of which:	13962	5802	16250	6545
(i) परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्ष) / Operational deposits(all counterparties)	-	-	-	-
(ii) गैर परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्ष)/ Non-operational deposits(all counterparties)	13962	5802	16250	6545
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured debt	-	-	-	-
4. प्रतिभूत थोक निधियन/ Secured wholesale funding		101		-
5. अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें/ Additional requirements, of which	13120	1516	2190	553
(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	345	345	431	431
(ii) ऋण उत्पादों संबंधी निधियन की हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	12775	1171	1759	122
6. अन्य संविदागत निधियन बाध्यताएं/ Other contractual funding obligations	617	617	576	576
7. अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं/ Other contingent funding obligations	21934	790	18119	544
8. कुल नकद बहिर्प्रवाह/Total cash Outflows		25855		23704

विवरण/Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19		वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18	
	कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)	कुल अभारित मूल्य(औसत) Total Unweighted Value(average)	कुल भारित मूल्य(औसत) Total Weighted Value(average)
नकद अंतःप्रवाह/Cash Inflows				
9. प्रतिभूत ऋण (अर्थात् रिवर्स रेपो)/ Secured lending (e.g. reverse repos)	-	-	-	-
10. पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतःप्रवाह/ Inflows from fully performing exposures	1972	986	2802	1401
11. अन्य नकदी अंतःप्रवाह/Other cash inflows	2402	2402	13114	13114
12. कुल नकदी अंतःप्रवाह/Total Cash Inflows	4374	3388	15915	14514
		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13. कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA		47224		37198
14. कुल निवल नकदी अंतःप्रवाह/Total Net Cash Outflows		22467		9190
15. तरलता कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)		210.19%		404.77%

भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने पूर्व के मासिक आधार के सापेक्ष एलसीआर की गणना 1 जनवरी, 2017 से दैनिक आधार पर करना शुरू कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 हेतु उपर्युक्त आंकड़े 226 दिनों को कवर करते हुए (गेर-कार्य दिवस को छोड़कर) दैनिक औसत दर्शाते हैं। In accordance with RBI guidelines, the Bank has started computing LCR on a daily basis from 1st Jan 2017 as against on a monthly basis earlier. For the current fiscal year i.e. 2018-19, the above figures represent a daily average covering 266 days (i.e. excluding non-working days).

36.2 एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानकों का उद्देश्य है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अभारित उच्च कोटि की तरल आस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट तरलता की अत्यधिक कमी होने के स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस के समय में अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने हेतु नकदी में बदला जा सकता है। एलसीआर बैंकों को संभावित तरलता घटने पर अल्पकालिक बल प्रदान करता है क्योंकि यह सुनिश्चित कराता है कि बैंकों के पास तरलता के अत्यधिक दबाव की स्थिति का सामना करने हेतु 30 दिनों हेतु पर्याप्त एचक्यूएलए हो।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) =

उच्च कोटि की तरल आस्तियों का स्टॉक (एचक्यूएलए)

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिःप्रवाह

एलसीआर अपेक्षाएं बैंकों के लिए 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हैं। बैंकों को ट्रांजिशन अवधि प्रदान करने के लिए आरंभ में न्यूनतम अपेक्षा 60% थी जिसे धीरे धीरे प्रतिवर्ष 10% निम्नानुसार बढ़ाया जाना है

समय अवधि/Time Period	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर अपेक्षा Minimum LCR Requirement	60%	70%	80%	90%	100%

कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान एलसीआर अपेक्षा 90% थी और अब 1 जनवरी, 2019 से बढ़कर 100% हो गई है। बैंक ने वर्ष भर एलसीआर की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा का पालन किया था।

36.2 Qualitative disclosure around LCR:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that the Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient HQLAs to survive an acute stress scenario lasting for 30 days.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) =

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

Total net cash outflows over the next 30 calendar days

The LCR requirement has become effective for Banks from January 1, 2015. With a view to provide a transition time for Banks, the requirement was a minimum of 60% initially, with gradual increase of 10% every year, as specified below.

The LCR requirement was 90% during the calendar year 2018 and has now increased to 100% since 01st January 2019. The Bank was in compliance with the minimum regulatory requirement for LCR throughout the year.

अंतरा अवधि परिवर्तन और समय के साथ हुए परिवर्तन:

बैंक का एलसीआर वित्त वर्ष 2018-19 : के दौरान अनिवार्य आवश्यकताओं से बेहतर रहा है।

एलसीआर के मुख्य कारक:

एसएलआर अपेक्षा के अंतर्गत हमारे बैंक में एलसीआर परिणामों हेतु मुख्य कारक इस प्रकार हैं,

- अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अतिरिक्त बनाए रखे गए उच्च कोटि की तरल सरकारी प्रतिभूतियों का अनुकूल स्तर जिन्हें सहज तरलता प्राप्त करने हेतु सेकेंडरी बाजार में बेचा या रेपो किया जा सकता है;
- नकदी का समुचित स्तर और अतिरिक्त सीआरआर शेष;
- बैंक के पास उपलब्ध अधिशेष तरल निधियां एक दिवसीय/मीयादी मुद्रा बाजार में उधार दी जाती हैं।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी (एमएसएफ) के अंतर्गत भारिबैं से उपलब्ध अतिरिक्त तरलता सुविधा और तरलता कवरेज अनुपात हेतु तरलता प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर);
- खुदरा ग्राहकों से उच्च स्तर की खुदरा जमाशियाँ जिनका दबाव की परिस्थिति में घटने की कम संभावना होती है।

एचक्यूएलए का संघटन

बैंक के एचक्यूएलए में बड़ा भाग स्तर 1 की आस्तियाँ हैं अर्थात् अत्यंत तरल स्वरूप की आस्तियाँ। इन आस्तियों में नकदी, अतिरिक्त सीआरआर शेष, अतिरिक्त एसएलआर निवेश, भारिबैं से उपलब्ध तरलता सुविधाएं जैसे एमएसएफ, एफएलएलसीआर आदि। स्तर 2 आस्तियों में कठोर छंटाई करने के बाद उच्च ऋण दर वाले कारपोरेट बांड और इक्विटी निवेश शामिल हैं।

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

बैंक की निधियों के स्रोत का विस्तार अनुकूल रूप से छोटी जमाशियाँ पर निर्भर है बजाय बड़ी मात्रा में थोक निधियों के। निधियन स्रोतों के संकेन्द्रण के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष नहीं था। अतः किसी एक स्रोत का अनुचित संकेन्द्रण नहीं है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर, संभाव्य कोलेटरल कॉल्स और करेंसी मिसमैच

वर्ष के दौरान बैंक का डेरिवेटिव में नगण्य अनकवर्ड निवेश था। विदेशी मुद्रा में भी निवेश महत्वपूर्ण नहीं है और करेंसी अंतराल आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर है और इसे एलसीआर की गणना में लिया गया है। इसके कारण तरलता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना न के बराबर है।

तरलता प्रबंधन

बैंक की तरल आस्तियों का प्रभार ट्रेजरी देखती है और यह बैंक की निधियों की स्थिति का प्रबंध करती है। आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष जो कारपोरेट स्तर पर बैंक की तरलता की स्थिति की प्रबंध करती है ट्रेजरी के सतत संपर्क में रहती है। शीर्ष क्षेत्र कार्याधिकारियों द्वारा तरलता स्थिति की दैनिक मॉनिटरिंग के अलावा पृथक बोर्ड स्तरीय और कार्यपालक स्तरीय समितियां विशिष्ट तरलता पैरामीटरों को मॉनिटर करती हैं और अधिकारियों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

Intra period changes as well as changes over time:

The LCR of the Bank has been well above the mandatory requirements throughout the year FY: 2018-19.

Main drivers of LCR:

In our Bank, the main drivers for LCR results are,

- The comfortable level of high quality liquid Govt. Securities maintained over the mandatory SLR requirement, which can be sold or repo in the secondary market to avail easy liquidity;
- Reasonable level of cash and excess CRR balances;
- Surplus liquid funds available with the Bank, lent in the overnight / term money market.
- Liquidity facilities available from RBI under Marginal Standing Facility (MSF) and Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR); as also surplus funds lent in the overnight/term money market;
- Majority of deposits from retail customers which are expected to have low run-offs under stressed conditions.

Composition of HQLA:

Major portion of the Bank's HQLAs constitute of Level 1 Assets viz. most liquid in nature. Such assets include- Cash, excess CRR balances, excess SLR investments, liquidity facilities available from RBI such as MSF, FALLCR, etc. Level 2 Assets constitute of high credit rated Corporate Bonds and Equity Investments after considering stringent haircuts.

Concentration of Funding Sources:

Bank's source of funding are comfortably spread with major reliance on small deposits rather than large wholesale funds. There were no significant counterparties in terms of concentration of funding sources. Thus, there is no undue concentration in any one source.

Derivative Exposures, Potential Collateral Calls and Currency Mismatch:

The Bank has negligible uncovered exposure to Derivatives during the year. Exposure to foreign currencies is also not significant and currency gaps are within its internal prudential limits and have been accounted for in the LCR computation. Any significant impact on liquidity on account of this is least expected.

Liquidity Management:

The Treasury is in charge of the liquid assets of the Bank and manages the fund position of the Bank. The Assets Liability Management Cell, which monitors the liquidity position of the Bank at the corporate level, remains in constant touch with the Treasury. Apart from day-to-day monitoring of liquidity position by the top functionaries, separate Board level and top executive level committees monitor distinct liquidity parameters and provide strategic guidance to the functionaries.

अन्य प्रासंगिक प्रमुख नकदी प्रवाह:

बैंक का सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं और कॉरपोरेट के बॉण्डों में पर्याप्त निवेश है जिन्हें वित्तीय क्षेत्र में होने के कारण एलसीआर की गणना से बाहर रखा गया है। बैंक का विश्वास है कि दबाव की स्थिति में भी ये निवेश समुचित छंटाई के बाद भी तरलता के विश्वासनीय स्रोत का कार्य कर सकती है। सभी बहिर्प्रवाह जिसे बैंक पर्याप्त मानती है अथवा जिनका इसकी तरलता पर प्रभाव है की गणना एलसीआर के लिए की गई है।

37. वेतन संशोधन के कारण प्रावधान

कर्मचारियों के वेतन संशोधन (11वां द्विपक्षीय समझौता) के कारण, जो आईबीए के साथ विचाराधीन है और नवम्बर, 2017 से देय है, बैंक पर संभावित भार को पूरा करने के लिए बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹292.52 करोड़ का प्रावधान किया है।

38. अन्य नोट

38.1 राष्ट्रीय और स्थानीय समाशोधन खाते (एनएसीएच सहित), नोस्ट्रो खाते वोस्ट्रो खाते, शाखा प्रणाली उचंचत खाता सहित विभिन्न अंतर शाखा, अंतर बैंक खाते और एटीएम लेनदेन का समाधान एक सतत प्रक्रिया है और प्रक्रियाधीन है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर उपर्युक्त का प्रभाव, यदि कोई है, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

38.2 (i) पिछले वर्षों और चालू वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। 31.03.2019 तक ₹3025.03 करोड़ (चालू वर्ष हेतु ₹428.24 करोड़ सहित) की राशि के उध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन अरक्षित कोष में जमा किया गया। पुनर्मूल्यांकित अंश पर वर्ष हेतु ₹14.49 करोड़ का मूल्यहास पुनर्मूल्यन अरक्षित खाते से "राजस्व तथा अन्य अरक्षित निधियाँ" [अनुसूची सं. 2 मद (iv)] में अंतरित किया गया है।

(ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।

(iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।

(iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं।

ए. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत ₹0.86 करोड़ है।

बी. हैदराबाद में ₹1.61 करोड़ की लागत की संपत्ति, जहाँ यूएलसी से स्वीकृति लंबित है और चेन्नै में ₹2.32 करोड़ की संपत्ति जहाँ डीआरटी द्वारा अंतरिम स्टे प्रदान किया गया है।

सी. पारादीप, ओडीशा में 02.04.2013 से 24 आवासीय फ्लैटों वाले 17520 वर्गफीट क्षेत्र वाले आवासीय प्लॉट के पट्टे का नवीकरण का मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।

Other Relevant Major Cash Flows:

Bank has sizeable investments in bonds of Public Sector Entities and Corporate which are excluded from LCR computation on account of being in the financial sector. The Bank believes that, even under stressed conditions, these investments can serve as a reliable source of liquidity, albeit with appropriate haircuts. All outflows that the Bank considers to be sizeable or bearing an impact on its liquidity are accounted for in the LCR computation.

37. Provision on account of Wage Revision:

To meet the probable load on the Bank on account of wage revision of employees (11th bipartite settlement) which is under discussion with IBA and due from November, 2017, the Bank has made an adhoc provision of ₹292.52 Crore during the current financial year.

38. Other Notes

38.1 The reconciliation of various inter-branches, inter-bank accounts, National and Local Clearing accounts (including NACH), Nostro accounts, Vostro accounts, Branch System Suspense account and ATM transactions is an ongoing process and is under progress. The impact of the above, if any, on the financial results for the year ended 31st March, 2019, in the opinion of the management will not be significant.

38.2 (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers in earlier years and current year. An upward revision amounting to ₹3025.03 Crore (including ₹428.24 Crore for current year) upto 31.03.2019 had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation of ₹41.49 Crore for the year on Revalued portion has been transferred from the Revaluation Reserve Account to "Revenue & Other Reserves" [Schedule No.2 item (iv)].

(ii) Depreciation is charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.

(iii) Premium on leasehold land is amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.

(iv) Registration formalities are yet to be completed for the following properties:

a. Two (2) residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of ₹0.86 Crore.

b. Property at Hyderabad costing ₹1.61 crore, where Clearance is pending before ULC authority and at Chennai costing ₹2.32 crore, where interim stay has been granted by DRAT.

c. Renewal of lease of residential plots of land measuring 17520 sq.ft area at Paradeep, Odisha having 24 residential flats w.e.f. 02.04.2013 has been taken up with Paradeep Port Trust (PPT) and is under their consideration.

(v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under;

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2018-19	वित्तीय वर्ष /F.Y. 2017-18
अथ शेष / Opening Balance	39.45	49.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	20.39	0.01
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	9.59	9.78
इति शेष / Closing Balance	50.25	39.45

38.3 (i) ₹0.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।

38.3 (i) In respect of Investments of face value of ₹0.44 Crore (Previous year ₹0.44 Crore), the Bank is yet to receive scrips/certificates.

(ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड की यूनितों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश ₹2093.13 करोड़ (विगत वर्ष ₹2298.42 करोड़) रहा।

(ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds/venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹2093.13 Crore (Previous year ₹2298.42 Crore).

(iii) वर्ष के दौरान बैंक ने परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कतिपय प्रतिभूतियां बेची और ₹16.24 करोड़(विगत वर्ष ₹22.66 करोड़) का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान निवल हानि के कारण 'पूँजी आरक्षित खाता-निवेश' में कोई विनियोजन नहीं किया गया।

(iii) During the year, the Bank sold certain securities under Held to Maturity category and earned profit of ₹16.24 Crore (Previous Year ₹22.66 Crore). Due to net loss during the year, no appropriation has been made to 'Capital Reserve Account-Investment'.

(iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 4 (iv) (क) में उल्लिखित है, 'हेल्ड टू मैच्यूरिटी' श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर ₹84.85 करोड़ (विगत वर्ष ₹98.64 करोड़) की राशि अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ एवं हानि खाते के 'अर्जित ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. 4(iv)(a), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortized during the year amounting to ₹84.85 Crore (Previous year ₹98.64 Crore) has been netted-off from Income on Investment shown under the head "Interest Earned" of Profit and Loss Account in terms of the RBI guidelines.

38.4. आकस्मिक देयताएँ

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।

38.4. Contingent Liabilities:

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.

38.5. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) ₹14.28 करोड़ (विगत वर्ष ₹82.36 करोड़)।

38.5. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of advance) is ₹14.28 Crore (Previous Year ₹82.36 Crore).

38.6. "अन्य आस्तियां" अनुसूची 11 के अंतर्गत उल्लिखित अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती में ₹3240.55 करोड़ शामिल है (पिछला वर्ष ₹1691.76 करोड़) विवादित राशि विभिन्न करनिर्धारण वर्षों हेतु कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा समायोजित चुकता कर दी गई है। ₹3240.55 करोड़ (पिछला वर्ष ₹1691.76 करोड़) की विवादित आयकर मांगों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि बैंक की राय में, विशेषज्ञ की राय द्वारा विधिवत समर्थित और/अथवा इन मुद्दों पर बैंक की खुद की अपीलों पर किए गए जोड़/डिसएलाउंस धारणीय नहीं हैं।

38.6. Tax paid in advance/ Tax deducted at source appearing under "other assets" schedule-11, includes ₹3240.55 Crore (previous year ₹1691.76 crore) disputed amount adjusted by department/ paid by bank in respect of tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed income tax demands of ₹3240.55 crore (previous year ₹1691.76 Crore) as in bank's view, duly supported by expert opinion and/or decisions in bank's own appeals on same issues, additions/ disallowances made are not sustainable (shown in Contingent Liability).

38.7 अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है

38.7. Sector wise break-up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis

ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।

38.8 बासेल-III पूंजी विनियम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.2/21.06.201/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 के अनुसार बैंकों को पूंजी पर्याप्तता और तरलता मानक संशोधन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार बासेल-III संरचना के अंतर्गत लेवरेज अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात सहित प्रयोज्य पिलर 3 प्रकटन करना अपेक्षित है। ये प्रकटन बैंक की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध कराया गया है (<https://www.allahabadbank.in>)

38.9 वित्तीय वर्ष 2018-19 तक तीन सौ बाईस (322) परिचालनगत धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट मिली है जिसमें ₹70.54 करोड़ की रकम शामिल है। इन खातों में से बैंक ने वर्ष के दौरान ₹13.68 करोड़ की कुल राशि वसूली की है और वर्ष के दौरान ₹8.53 करोड़ की शेष राशि का आरक्षित प्रावधान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीसी.83/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 और डीबीआर.सं.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में 'अन्य आरक्षितियां' से नामे लिखी गई अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा वर्ष के अंत में ₹शून्य करोड़ है क्योंकि धोखाधड़ी हेतु प्रावधान को चार तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जाना है।

38.10 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा समूचे एटी 1 शाश्वत बॉण्डों (सारीज I से IV) के कुल ₹1500 करोड़ को 07.05.2018 को (मूलधन और देय ब्याज) विनियामक कॉल (बैंक को भारिबैं के पीसीए ढांचे के अंतर्गत रखा गया है) के प्रयोग के माध्यम से चुकता कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कुल ₹500 करोड़ के अपने अपर टियर 2 सीरीज बॉण्डों और कुल ₹150 करोड़ के आईपीडीआई बॉण्ड सीरीज I में भी कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है और मूलधन तथा देय ब्याज क्रमशः 19.03.2019 और 30.03.2019 को चुकता कर दिया है।

38.11 बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी (16.10.2006 को अंतःस्थापित) के उपबंधों और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.05.2014 के पत्र सं. एफ. सं.7/93/2013- बीओए के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के बैंक के अदत्त और अदावी लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया गया है।

38.12 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ₹62.54 करोड़ की निवल बही मूल्य की वित्तीय आस्तियां ₹116.16 करोड़ के प्रतिफल पर आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को समनुदेशित की हैं। इन वित्तीय आस्तियों को बिक्री की तिथि को निवल बही मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बेचा गया है, अतिरिक्त प्रावधान को लाभ हानि खाते में नहीं लिया गया है, सिवाय उसके जहां प्रतिफल नकद प्राप्त हुआ है।

38.13 दीवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल खातों के संबंध में पत्र सं. डीबीआर सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 के तहत दिवाला प्रक्रिया- प्रावधानीकरण मानदंड शुरू करने हेतु भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2018 को ₹749.51 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। 31.03.2019 को समाप्त चालू वित्तीय

from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule-9 of the Balance Sheet.

38.8 In accordance with RBI circular DBOD.No.BP.BC.2/21.06.201/2015-16 dated 1st July, 2015, on 'Basel III capital Regulation' read together with RBI circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31,2015 on 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standard Amendments' requires banks to make applicable Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel III Framework. These disclosures are being made available on Bank's website www.allahabadbank.in.

38.9 Up to the financial year 2018-19, three hundred twenty two (322) number of operational fraud cases were reported involving a total amount of ₹70.54 crore. Out of these accounts, the Bank has recovered a total amount of ₹13.68 crore and reverse provision for balance amount of ₹8.53 crore during the year. The quantum of unamortized provision debited from 'Other Reserves' as at the end of year amounts to ₹ NIL crore in pursuance to RBI circulars DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 1, 2015 and DBR.No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 as the provision for fraud can be amortized over a period of four quarters.

38.10 During the financial year 2018-19, the entire outstanding AT1 perpetual Bonds (Series I to IV) aggregating to ₹1500 crore were repaid by the Bank on 07.05.2018 (both principal and due interest) through exercise of Regulatory Call (the Bank placed under PCA framework of RBI). Further, the Bank also exercised Call Option on its Upper Tier 2 Series I Bonds aggregating to ₹500.00 crore and IPDI Bonds Series I aggregating to ₹150.00 crore and repaid both principal and due interest on 19.03.2019 and 30.03.2019 respectively.

38.11 In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970(Inserted on 16.10.2006) and in terms of directives issued by the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends of the Bank for the FY 2010-11 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

38.12 During the FY 2018-19, Bank has assigned financial assets having a net book value of ₹62.54 crore to Assets Reconstruction Companies for a consideration of ₹116.16 crore. These financial assets sold for value higher than Net Book value on the date of sale, the excess provision has not been taken to Profit and Loss account except where consideration received in cash.

38.13 As per RBI directions for initiating Insolvency Process - Provisioning Norms vide letter no. DBR.No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated 23rd June, 2017 in respect of accounts covered under provisions of insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank made additional provision of ₹749.51 crores as at 31st March 2018. During

वर्ष के दौरान भारिबैं के उक्त दिशानिर्देशों के कारण कोई अतिरिक्त प्रावधान करना अपेक्षित नहीं था। तथापि, प्रतिभूति की अवधि बढ़ने और प्रतिभूति मूल्य में परिवर्तन के कारण ₹666.48 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।

the current year ended 31.03.2019, no additional provisioning was required to be made on account of above RBI guidelines. However, an amount of ₹666.48 crore was additionally provided on account of ageing and variation in security value.

38.14 दीवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल खातों के संबंध में पत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.बीसी.1841/21.04.048/2017-18 दिनांक 28 अगस्त, 2017 के तहत भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2018 को 656.14 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। 31.03.2019 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारिबैं के उक्त दिशानिर्देशों के कारण कोई अतिरिक्त प्रावधान करना अपेक्षित नहीं था। तथापि, प्रतिभूति की अवधि बढ़ने और प्रतिभूति मूल्य में परिवर्तन के कारण ₹1003.27 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।

38.14 In terms of RBI directions vide letter No. DBR.No.BP.BC.1841/21.04.048/2017-18 dated 28th August, 2017 in respect of accounts covered under provisions of insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank made additional provision of ₹656.14 crore as at 31st March 2018. During the current year ended 31.03.2019, no additional provisioning was required to be made on account of above RBI guidelines. However, an amount of ₹1003.27 crore was additionally provided on account of ageing and variation in security value.

38.15 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की पुनः गणना की है और ₹12.30 करोड़ का प्रतिलिखित प्रावधान किया है।

38.15 Pursuant to RBI guidelines the Bank has recalculated the diminution in the fair value of restructured advances and has written back provision of ₹12.30 crore during the year 2018-19.

38.16 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुबंध III में दर्शाए गए खातों, जिनमें कार्यनिष्पादन मुद्दों अथवा कतिपय शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुनर्गठन विफल हो गया था और भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया था, की 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति समीक्षा की गई और अब इन्हें वर्गीकृत किया जा रहा है और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

38.16 In compliance with RBI directives, accounts shown under Annex III of Asset Quality Review (AQR) wherein restructuring was failed due to performance issues or non fulfillment of certain conditions and necessary provisions was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31st March 2019 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms.

38.17 भारिबैं परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.योजना.बीसी.23/04.09.01/15-16 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ने कुल ₹11705 करोड़ (विगत वर्ष ₹10283 करोड़) का पीएसएलसी बेचा है जिसमें से पीसीएलसी सामान्य, ₹5800 करोड़ (विगत वर्ष ₹5255 करोड़) पीएसएलसी माइक्रो, ₹1950 करोड़ (विगत वर्ष ₹1080 करोड़) पीएसएलसी एसएफ/एमएफ ₹3955 करोड़ (विगत वर्ष ₹3948 करोड़) है और पीएसएलसी कृषि ₹2555 (विगत वर्ष ₹4048 करोड़) ₹56.372 करोड़ की आय (विगत वर्ष ₹81.91 करोड़) के प्रतिफल पर खरीदा है।

38.17 In terms of RBI circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09..01/2015-16 dated April 7, 2016 Bank has sold total PSLC to the tune of ₹11705 crore (₹10283 crore in previous year) out of which PSLC General to the tune of ₹5800 crore (₹5255 crore in previous year), PSLC Micro to the tune of ₹1950 crore (₹1080 crore in previous year), PSLC SF/MF to the tune of ₹3955 crore (₹3948 crore in previous year) and purchased PSLC Agril to the tune of ₹2555 crore (₹4048 crore in previous year) for a consideration of income of ₹56.372 crore (₹81.91 crore in previous year) for the year ended March 31, 2019.

38.18 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ₹16.17 करोड़ के आबंटन के सापेक्ष सीएसआर पर ₹9.23 करोड़ खर्च किए हैं। किए गए विभिन्न कार्यक्रमलाप और उन पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार प्रस्तुत है:

38.18 During the year 2018-19, Bank has spent ₹9.23 crore on CSR as against allocation of ₹16.17 crore. The various activities undertaken and expenditure incurred there on has been furnished as under:-

- कन्या शिशु के कल्याण पर (स्कूलिंग हेतु कन्या शिशु को प्रदत्त वजीफा): ₹0.44 करोड़
- 21 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) और 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र(एफएलसी) और सीएफएल को वित्तीय सहायता: ₹8.72 करोड़
- अन्य ₹0.07 करोड़

- Welfare of the Girl Child (Stipend extended to girl child for schooling): ₹0.44 crore.
- Financial Assistance to 21 Rural Self Employment Training Institute (RSETIs) and 19 Financial Literacy Centre (FLCs) & CFL : ₹8.72 crore.
- Others ₹0.07 crore.

38.19 भारिबैं के परिप सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी.108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून, 2018 के तहत बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं को किए गए एक्सपोजर को मानक आस्तियों के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई है जहां 1 सितम्बर, 2017 और 31 दिसम्बर, 2018 के बीच बकाया का भुगतान संबंधित मूल बकाया तिथियों से 180 दिनों से अनधिक अवधि में

38.19 RBI vide circular No. DBR No. BP. BC. 108/21.04.048/2017-18 dated June 6, 2018 permitted banks to continue the exposures to MSME borrowers to be classified as standard assets where the dues between September 1, 2017 and December 31, 2018 are paid not later than 180 days from their respective original due dates.

कर दिया गया है। तदनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹250.16 करोड़ का अग्रिम मानक आस्तियों के रूप में रखा है। परिपत्र के उपबंधों के अनुसार बैंक ने ₹7.62 करोड़ की ब्याज आय को अभिज्ञात नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति ₹12.13 करोड़ का मानक आस्ति प्रावधान कर रहा है।

Accordingly, Bank has retained advances of ₹250.16 crore as standard asset as on March 31, 2019. In accordance with the provisions of the circular, the Bank has not recognized interest income of ₹7.62 crore and is maintaining a standard asset provision of ₹12.13 crore as on March 31, 2019 in respect of such borrowers.

39. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु पुनः समूहित अथवा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

39. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary to make them comparable with that figures of the current year.

(सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(CH S. S. Mallikarjuna Rao)
Managing Director & CEO

(बी.के. साहू)
निदेशक
(B.K.Sahoo)
Director

(के. रामचंद्रन)
कार्यपालक निदेशक
(K. Ramachandran)
Executive Director

(पी.आर. राजगोपाल)
कार्यपालक निदेशक
(P. R. Rajagopal)
Executive Director

(एस. अग्रवाल)
महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ
(S. Aggarwal)
General Manager (F & A)
and CFO

(बी.के. साहू)
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(B. K. Sahoo)
Asst General Manager
(F & A)

(राम स्वरूप साकार)
सहायक महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)
(Ram Swarup Sarkar)
Asst General Manager
(F & A)

कृते मे. नंदी हलदर एंड गांगुली
For M/s Nandy Halder & Ganguli
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / Firm Regn. No. 302017E

(सीए राणा प्रताप नंदी)
(CA Rana Pratap Nandy)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.051027

कृते मे. पी.एल. टंडन एंड कं.
For M/s P L Tandon & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000186C

(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)
(CA Anil Kumar Aggarwal)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.071548

कृते मे. आर. गोपाल एंड एसोसिएट्स
For M/s R. Gopal & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 000846C

(सीए गोपाल दास अग्रवाल)
(CA Gopal Das Agarwala)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.051609

कृते मे. जेबीएमटी एंड एसोसिएट्स
For M/s JBMT & Associates
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 320232E

(सीए बासुदेव ओझा)
(CA Basudev Ojha)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.055193

कृते मे. प्रकाश एस. जैन एंड कं.
For M/s Prakash S. Jain & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण सं / FRN : 002423C

(सीए गौरव थपाडिया)
(CA Gaurav Thepadia)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं. / Membership No.405326

Place : Kolkata
Date: 10.05.2019